संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2009-2010

सत्यमेव जयते

" समावेशी विकास हमारी विकास प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। तीव्र आर्थिक विकास से यदि गरीब और वंचित लोगों, हमारे किसानों, कामगारों, हमारे बच्चों, विद्यार्थियों और महिलाओं का कल्याण नहीं होता तो इसका कोई अर्थ नहीं है।"

— डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

"....यह सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके विधायी कार्यक्रम के मूल में आम आदमी के कल्याण की वास्तविक चिंता हो और उसमें लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की झलक हो।"

— श्रीमती सोनिया गांधी
यूपीए अध्यक्ष

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2009-2010

22 मई 2009 को यूपीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह

28 मई 2009 को यूपीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2009-2010

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा आकल्पित एवं प्रकाशित

रेव स्केन्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

1.	**प्रस्तावना**	
2.	**मानव विकास**	
2.1	शिक्षा	1
2.2	स्वास्थ्य	6
2.3	बाल अधिकार	9
3.	**सामाजिक समावेश**	
3.1	खाद्य सुरक्षा	11
3.2	महिला सशक्तिकरण	11
3.3	कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण एवं विकास	12
3.4	अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी कार्यक्रम	14
3.5	अक्षमता से सशक्तिकरण	15
3.6	वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल	16
3.7	भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत रक्षाकर्मियों का कल्याण	16
3.8	कामगारों का कल्याण	17
3.9	वित्तीय समावेश	18
4.	**ग्रामीण नवीकरण**	
4.1	भारत निर्माण	19
4.2	ग्रामीण रोज़गार	20
4.3	कृषि-खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण की ओर	21
4.4	पंचायती राज	23
5.	**शहरों का कायाकल्प**	
5.1	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	25
5.2	जन परिवहन-मेट्रो परियोजनाएं एवं बसें	25
5.3	शहरी गरीबों के लिए आवास	26
5.4	सरकारी-निजी भागीदारी पहल	26
6.	**आर्थिक पुनरुत्थान**	
6.1	बृहत् आर्थिक परिदृश्य	27
6.2	औद्योगिक कार्यनिष्पादन	29
6.3	ऊर्जा	36
6.4	परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा	39

7.	**पर्यावरण संरक्षण**	
7.1	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना	45
7.2	क्षतिपूर्ति वनीकरण	46
7.3	ग्रीन ट्राइब्यूनल	46
7.4	मिशन क्लीन गंगा	46
8.	**नए क्षितिज**	
8.1	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	47
8.2	अंतरिक्ष कार्यक्रम	48
8.3	सूचना एवं प्रसारण	48
8.4	पर्यटन	49
8.5	संस्कृति	49
8.6	राष्ट्रमंडल खेल	50
8.7	राष्ट्रीय युवा कोर	50
8.8	इंडिया पोस्ट	50
9.	**आपदा प्रबंधन**	
9.1	राष्ट्रीय आपदा नीति और आपदा संबंधी दिशा-निर्देश	51
9.2	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल	51
9.3	बाढ़ राहत	51
9.4	चक्रवात पीड़ितों के लिए आश्रय-स्थल	52
10.	**विशेष विकास ज़रूरतों पर ध्यान**	
10.1	पूर्वोत्तर	53
10.2	जम्मू-कश्मीर	55
10.3	बुंदेलखंड	56
11.	**सुरक्षा**	
11.1	आंतरिक सुरक्षा के प्रयास	57
11.2	सीमा सुरक्षा	58
11.3	रक्षा	59
12.	**शासन एवं नागरिक समाज**	
12.1	सुधार	61
12.2	केंद्र-राज्य संबंध	64
13.	**मैत्रीपूर्ण संबंध**	
13.1	विदेशी मामले	65
13.2	प्रवासी भारतीय	69

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

Prime Minister

प्रस्तावना

भारत की जनता ने 2009 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक बार फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया। फिर से मिले इस जनादेश के साथ यूपीए सरकार देश के नागरिकों के हितों पर केंद्रित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर अमल कर रही है।

यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें एक तरफ तो 2004 से हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए जनकल्याण कार्यक्रमों और नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ समावेशी विकास हासिल करने के लिए पिछले पांच वर्षों में डाली गई सामाजिक और आर्थिक बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार जाति, समुदाय, भाषा, धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना अपने सभी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा, शांति, कल्याण और संतुष्टि चाहती है।

हमारा प्रयास रहा है कि आर्थिक वृद्धि में तेजी को और आगे बढ़ाएं तथा सभी नागरिकों को अपनी आर्थिक प्रक्रियाओं, कल्याण कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में भागीदार बनाएं। हमने व्यक्तिगत उन्नति और समाज के हर वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया है। हम अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और बालिकाओं के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।

2009-10 देश के लिए चुनौती भरा वर्ष था। वैश्विक वित्तीय संकट ने अन्य बहुत-सी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। हम विश्व की बहुत-सी अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इस संकट से बेहतर ढंग से निपट सके। प्रतिकूल बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में 2009-10 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने की संभावना है तथा चालू वर्ष में इसके 8 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारभूत विशेषताओं और दृढ़ता का पता चलता है। आर्थिक संकट से उबरने में वृहद-आर्थिक प्रबंधन की सरकार की कार्य नीति की सफलता साफ झलकती है।

देश को 2009 के उत्तरार्द्ध में गंभीर सूखे के प्रभाव को भी झेलना पड़ा। सरकार ने सूखे के असर को कम करने के लिए अनेक उपाय किए। यह कुछ संतोष की बात है कि हमारे किसानों ने इस सूखे का सामना करने में गजब की मेहनत और दृढ़ता का परिचय दिया। अर्थव्यवस्था में ऐसी विपरीत स्थितियों का सामना करने और उनका प्रबंधन करने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

बाहरी कारणों और सूखे के मिले-जुले असर से कीमतों में हुई वृद्धि गहरी चिंता का कारण बनी हुई है। यूपीए सरकार ने समस्या से निपटने के लिए लघु अवधि और मध्यम अवधि

दोनों तरह के अनेक उपाय किए। हमारा मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करना था। संयोग से सूखा ऐसे समय पड़ा, जब देश में अनाज का पर्याप्त भंडार था। राज्य सरकारों को अनाज का आवंटन बढ़ा दिया गया है। चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए दलहनों और चीनी के आयात की अनुमति दी गई है। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों और कुछ केंद्रीय मंत्रियों का स्थायी कोर ग्रुप गठित किया गया है। हम कीमतों पर निरंतर नजर रखे हुए हैं।

हमारी सरकार ग्रामीण भारत के विकास की नई नीति अपनाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। शासन के अपने दूसरे कार्य काल में हम अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी ला रहे हैं। भारत निर्माण के तहत ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कों और गैर-विद्युतीकृत गांवों एवं घरों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का समावेशी विकास को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में अग्रणी स्थान है। ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण तथा प्रत्येक जिले में लोकपाल के जरिये तत्काल शिकायत निवारण से इसके कार्यान्वयन में सुधार लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को मजबूत बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिये कृषि की उत्पादन जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने सरकारी निवेश और सरकारी-निजी भागीदारी के बल पर ढांचागत विकास का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी शुरू किया है।

दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हमारी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार संविधान में एक नया मौलिक अधिकार शामिल करने के लिए "शिक्षा का अधिकार" कानून बनाया। हम भारत को पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाने तथा आधुनिक शिक्षा के प्रकाश की मदद से अपनी जनता के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र को आशा है कि वह राज्यों के साथ भागीदारी में इस कानून का उपयोग करके एक नई शिक्षा प्रणाली कायम कर सकेगा, जिसमें हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अवसर का अधिकार होगा। हम इस ऐतिहासिक कानून को क्रियान्वित करने के लिए सभी संसाधन जुटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्कूल शिक्षा में विस्तार के साथ-साथ हमने विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा के विस्तार का भी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए एक कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है।

हमारी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय समावेश पर बल दिया है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर भी अधिक-से-अधिक ध्यान दिया गया है।

11 वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा ने हमें अपनी जनता, खासतौर से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों में सुधार लाने का अवसर दिया।

हमारी सरकार ने यूनीक आइडेंटिफिकेशन कार्ड परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों की कार्य क्षमता में सुधार लाना तथा नागरिकों को अपने सभी अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में पूरी भागीदारी करने में समर्थ बनाना है।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक एक करोड़ से अधिक छात्रवृत्तियां दी गई हैं। उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेश हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है तथा इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर तथा बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हमारी विदेश नीति के उद्देश्य हमारी बुनियादी सुरक्षा तथा विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े रहे हैं। हमारी नीति अपने प्रमुख राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में बदलाव को गतिशीलता के साथ आत्मसात करने की रही है। हम अपने पड़ोसी और आसपास के देशों, प्रमुख शक्तियों तथा विकासशील जगत में अपने सहयोगी देशों के साथ अच्छे और मजबूती संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी बुनियादी प्राथमिकता भारत के लिए एक ऐसा बाहरी माहौल तैयार करना है, जो हमारे दीर्घकालीन आर्थिक विकास, हमारे लोगों के कल्याण और हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल हो।

विश्व ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजर रहा है, भले ही अनेक देश गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इक्कीसवीं शताब्दी को एशिया की शताब्दी कहा गया है और भारत को इस दिशा में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम तैयार हैं। परन्तु आज हमारी असली चुनौती तो हमारे घर में ही है।

यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, सांस्कृतिक रूप से गतिशील, क्षेत्रीय रूप से संतुलित, राजनीतिक रूप से भागीदार, पूर्ण शिक्षित, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आधुनिक, सृजनशील और उद्यमी भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। हम अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए इन उद्देश्यों तथा अपने सभी नागरिकों के कल्याण के लिए हम खुद को पुनः समर्पित करते हैं।

मनमोहन सिंह
(मनमोहन सिंह)

नई दिल्ली
13 मई, 2010

मानव विकास

"हमारा देश युवाओं का राष्ट्र है। हमारे बच्चों और युवकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सृजनात्मक क्षमताओं से राष्ट्र कल्याण होगा और देश मजबूत होगा ।"

– डॉ. मनमोहन सिंह

मध्याह्न भोजन

मानव विकास

2 मानव विकास

2.1 शिक्षा

2.1.1 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई), कानून 2009 अगस्त 2009 में कानून बना। संविधान (86वां संशोधन) कानून तथा आरटीई कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गई है।

आरटीई कानून प्रारंभिक पढ़ाई पूरी होने तक बच्चों को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने तथा वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियां उठाने के लिए सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और अभिभावकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इस कानून में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात, स्कूलों की इमारतों और बुनियादी ढांचा तथा स्कूल के कार्य दिवस और शिक्षकों के काम करने के घंटे संबंधी मानक और मानदंड भी तय किए गए हैं।

इस कानून में पाठ्यक्रम के विकास का भी प्रावधान है, जिसमें बच्चे के अनुकूल प्रणाली तथा बाल केंद्रित शिक्षा के जरिए बच्चे के चहुंमुखी विकास, बच्चों के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण तथा बच्चे को भय, अवसाद और चिंता रहित बनाने पर भी बल दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय और राज्यों के बाल अधिकार सुरक्षा आयोगों के जरिए बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकारों के संरक्षण और निगरानी तथा उनकी शिकायतों के निपटारे का प्रावधान किया है। इन आयोगों के पास सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे।

सर्व शिक्षा अभियान

इस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की कार्य नीतियों और आरटीई के मानदंडों के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2009-2010 में 31 दिसंबर, 2009 तक 7,400 नए प्राथमिक स्कूल तथा 11,847 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए, 35,427 शिक्षक नियुक्त किए गए, 9,708 अतिरिक्त क्लासरूम बनाए गए, 26.62 लाख शिक्षकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया गया तथा 9.54 करोड़ बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई गईं। देश के ज्यादातर क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं तक के लिए नामांकन लक्ष्य मोटेतौर पर हासिल कर लिए गए हैं। अब नियमित उपस्थिति तथा औपचारिक शिक्षा के आठ वर्षों के प्राथमिक चक्र को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

स्कूलों में मध्याह्न भोजन

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाना पकाने की लागत बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त रसोइया सह-सहायक को अब अंशकालिक सेवाओं के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। रसोईघर-सह-भंडार के निर्माण की लागत को भी राज्य की अधिसूचित दरों के अनुरूप संशोधित किया गया है। वर्ष 2009-2010 में इस योजना से लगभग 11 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए।

2.1.2 माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुणवत्ता बढ़ा कर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में शुरू किया गया। वर्ष 2009-10 में 31 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा 2,478 नए स्कूलों की स्थापना और 6,998 मौजूदा स्कूलों में सुधार को मंजूरी दी गई।

सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले 6,000 मॉडल स्कूल स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें हर विकास खंड में एक स्कूल होगा। वर्ष 2009-10 में 11 राज्यों को ऐसे 327 स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

मानव विकास

शिक्षा के अधिकार पर हर्षोल्लास

शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास की स्थापना और प्रबंधन की योजना भी शुरू की गई। वर्ष 2009-10 में 11 राज्यों को ऐसे 379 छात्रावासों की स्थापना की मंजूरी दी गई।

2.1.3 स्तरीय शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में सुधार

परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। 2011 से उच्चतर माध्यमिक सीबीएसई स्कूलों में जो विद्यार्थी सीबीएसई प्रणाली को अपनाना चाहते हैं उनके लिए दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया गया है। साथ ही नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का आंकलन स्कूल स्तर पर सीसीई (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) के आधार पर किया जाएगा। सीसीई 2009-10 के सत्र से नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों पर लागू होगी। तथापि यदि वे अपना आंकलन कराने के इच्छुक हैं तो मांग पर प्रवीणता परीक्षा का विकल्प भी जारी रहेगा, जो सीबीएसई 2011 से उपलब्ध कराएगी। वर्ष 2010 में सीबीएसई के जरिये ली गई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में सभी विषयों में मौजूदा अंक देने की प्रणाली के स्थान पर ग्रेड देने का फैसला भी किया गया है। ऐसी ग्रेडिंग प्रणाली मांग पर 2011 में प्रवीणता परीक्षा तथा उसके आगे के लिए और सीसीई के लिए भी जारी रहेगी।

2.1.4 महिला साक्षरता पर बल - साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साक्षर भारत का नाम दिया गया है। कम-से-कम 7 करोड़ निरक्षरों को 80 प्रतिशत साक्षरता उपलब्ध कराई जाएगी। महिला और पुरुषों में साक्षरता का अंतर 21 प्रतिशत

साक्षर भारत - शिक्षा का प्रसार

से कम करके 10 प्रतिशत तक लाने के लिए साक्षर बनाए जाने वाले 7 करोड़ लोगों में 6 करोड़ महिलाएं होंगी। सामाजिक अंतर को न्यूनतम करने के लिए 1 करोड़ 40 लाख अनुसूचित जाति (1करोड़ महिलाएं/ 40 लाख पुरुष) और 80 लाख अनुसूचित जनजातियां (60 लाख महिलाएं/20 लाख पुरुष) तथा 1 करोड़ 20 लाख अल्पसंख्यकों से संबंधित लाभार्थियों (1करोड़ महिलाएं/20 लाख पुरुष) को शामिल किया जाएगा।

देश के 50 प्रतिशत या उससे कम की प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले 365 जिलों को साक्षर भारत के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। 2009-10 में ये कार्यक्रम 19 राज्यों के 167 जिलों में शुरू किया गया, जिसमें प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत 80,000 ग्राम पंचायतों में 3.83 करोड़ निरक्षरों को शामिल करने तथा सतत शिक्षा घटक के तहत एक ग्राम पंचायत में 1 के आधार पर 81,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 19 राज्यों को 325.98 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

2.1.5 उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और सुधार लाना

पाठ्यक्रम सुधारों, व्यवसायीकरण, नेटवर्किंग और सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरवर्ती शिक्षा के साथ प्रशासन संरचना में सुधार के जरिये उच्च शिक्षा की उपयोगिता बढ़ाना, समानता और उत्कृष्टता के साथ पहुंच में सुधार उच्च शिक्षा में कुछ मुख्य नीतिगत उद्देश्य हैं।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग विधेयक का मसौदा सार्वजनिक बहस और संबंधित पक्षों के विचार के लिए जारी कर दिया गया है।

प्रत्यायन

सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के अनिवार्य प्रत्यायन के लिए उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन एवं प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण विधेयक को संसद में पेश कर दिया गया है।

शैक्षिक संस्थाओं में अनुचित व्यवहार निषेध

विद्यार्थियों और प्रवेश लेने वाले आवेदकों के हितों के संरक्षण के लिए तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय प्रणाली में कदाचारों एवं अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने और अपराधियों को दंडित करने के विधेयक को संसद में पेश कर दिया गया है।

मानव विकास

शैक्षिक न्यायाधिकरण

उच्च शिक्षा में उठने वाले विवादों को हल करने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक न्यायाधिकरणों का द्विस्तरीय ढांचा स्थापित करने के लिए विधेयक को संसद में पेश कर दिया गया है।

विदेशी शिक्षा सेवा प्रदाता

भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश और प्रचालन के नियमन के लिए विधेयक को संसद में पेश कर दिया गया है।

नए केंद्रीय विश्वविद्यालय

ओडिशा में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने तथा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में तीन राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने सहित 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इनमें से जम्मू और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों में अस्थायी परिसरों में 2009-10 से कार्य शुरू हो गया है।

कॉलेज

यूपीए सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 चुनिंदा जिलों में एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता देने की नई योजना का अनुमोदन किया है। ये वे जिले हैं, जिनमें उच्च शिक्षा का सकल प्रवेश अनुपात राष्ट्रीय सकल प्रवेश अनुपात से कम है।

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)

यूपीए सरकार ने रोहतक, रायपुर, रांची, तिरूचिरापल्ली, काशीपुर और उदयपुर में 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दी है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

शैक्षिक वर्ष 2009-10 से इन्दौर और मंडी में दो नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण कार्य शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

सरकार ने बड़े राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में कम-से-कम एक एनआईटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दस नए एनआईटी स्थापित करने का फैसला किया है। ये नए एनआईटी गोवा, पुडुचेरी, दिल्ली, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में खोले जाएंगे।

पॉलिटेक्निक

क. नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना

178 नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए पहली किस्त के रूप में प्रत्येक के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 19 पॉलिटेक्निकों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

ख. मौजूदा पॉलिटेक्निकों को सुदृढ़ बनाना

मौजूदा पॉलिटेक्निकों को सुदृढ़ बनाने के लिए 2009-10 में 235 पॉलिटेक्निकों में से प्रत्येक को 10-10 लाख रुपये की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई।

ग. पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण

महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 2009-10 में 343 पॉलिटेक्निकों को 20-20 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं।

घ. पॉलिटेक्निकों के जरिए सामुदायिक विकास

2009-10 में 479 पॉलिटेक्निकों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 49.09 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए सब्सिडी

यूपीए सरकार ने 4.5 लाख रुपये सालाना आय वाले अभिभावकों के गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए पूरी सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला किया है ताकि वे तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरे कर सकें।

राष्ट्रीय शैक्षिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मिशन

राष्ट्रीय शैक्षिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत मार्च 2010 तक देश भर के 7,500 से अधिक कॉलेजों को 30,000 से अधिक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन दिए गए हैं।

अन्य प्रयास

नवाचार विश्वविद्यालय

विश्वस्तरीय मानक वाले 14 नवाचार विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श हेतु एक मसौदा जारी किया गया।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क गीगाबाइट क्षमताओं वाले हाईस्पीड सूचना नेटवर्क के जरिये देश भर के डाटा को साझा करने और गणक संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए सभी विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और कृषि संस्थानों को आपस में जोड़ेगा। प्रारंभिक चरण में 2.5 जीबीपीएस क्षमता

राष्ट्रीय आईसीटी मिशन के तहत कम्प्यूटर शिक्षा

मानव विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जच्चा-बच्चा देखभाल

स्थापित की गई है तथा उच्च शिक्षा और उन्नत शोध के 66 संस्थानों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और 6 वर्चुअल क्लॉसरूम की स्थापना की जा चुकी है।

2.2 स्वास्थ्य

2.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

इस मिशन के जरिये सामुदायिक भागीदारी बढ़ाकर, स्वास्थ्य प्रणाली में मानव संसाधनों में वृद्धि करके, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार लाकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर बनाकर तथा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च की राशि बढ़ा कर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाया गया है।

2009-10 में 36,000 से अधिक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां स्थापित की गईं। 1,300 से अधिक फैसिलिटी आधारित रोगी कल्याण समितियां बनाई गईं। 53,000 से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का चयन किया गया और प्रशिक्षण दिया गया तथा 20,000 से अधिक डॉक्टरों और अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा गया। 4,984 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 254 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 102 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नए भवन बनाए गए। 3,246 उपकेंद्रों, 732 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 264 सामुदायिक केंद्रों और 28 जिला अस्पतालों के भवनों की मरम्मत या विस्तार किया गया।

जननी सुरक्षा योजना के तहत बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए स्वास्थ्य संस्थानों तक आने में महिलाओं को समर्थ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में दिसंबर, 2009 तक 78 लाख से अधिक जननियों को सहायता प्रदान की गई।

रोग नियंत्रण संबंधी सभी कार्यक्रमों में निरंतर

सुधार हुआ। मलेरिया, काला-अजार और डेंगू के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। इसके साथ फाइलेरिया के संक्रमण के प्रकोप में भी कमी देखी गई। क्षय रोग के मामले में उपचार की दर 87 प्रतिशत कायम रखी गई, जबकि रोग के मामलों का पता लगाने की दर 2007 में 70 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 72 प्रतिशत हो गई।

2.2.2 स्वास्थ्य में मानव संसाधन

देश के पिछड़े और अब तक सुविधा से वंचित जिलों में 269 नई ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफ तथा जनरल नर्स मिडवाइफ स्कूलों की स्थापना के जरिये नर्सों की संख्या बढ़ाने की करीब 2,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे हर साल 16,000 अतिरिक्त प्रशिक्षित नर्से उपलब्ध हो सकेंगी।

एक कार्य बल द्वारा स्वास्थ्य में एक नियामक निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद की स्थापना करने की सिफारिश को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है तथा इसे प्रतिक्रियाएं और सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2.2.3 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

योजना के पहले चरण के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स जैसे 6 संस्थानों के लिए मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स के कार्य के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

एड्स जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस

2.2.4 प्रमुख संस्थाओं को मजबूत बनाना

पुडुचेरी में जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को उन्नत बनाने का पहला चरण सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर, कैंसर केंद्र और नर्सिंग कॉलेज चालू करने के साथ पूरा हो गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर संस्थान के उन्नयन और विस्तार के लिए भी 370 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

2.2.5 एड्स नियंत्रण और देखभाल

यौन संक्रामक संक्रमणों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और एचआईवी परामर्श एवं परीक्षण सेवाओं के लिए 22 राज्यों के 152 रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली रेड रिबन एक्सप्रेस का दूसरा चरण पहली दिसंबर, 2009 को प्रारंभ हुआ। परामर्श और परीक्षण सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा 75 लाख से अधिक सामान्य लोगों और 55 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 5,135 समेकित परामर्श एवं परीक्षण केंद्रों के जरिए सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

2.2.6 आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)

आयुष को चिकित्सा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक संशोधित योजना का अनुमोदन किया गया तथा 675 करोड़ रुपये की लागत से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस नीति के

दिल्ली हवाई अड्डे पर एच1एन1 जांच केन्द्र

मानव विकास

समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र

अंग के रूप में 2009-10 में 2,368 डॉक्टर और 2,184 आयुष अर्द्धचिकित्सकीय कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। वर्ष के दौरान 300 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 490 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 18 जिला अस्पतालों तथा 209 आयुष अस्पतालों में आयुष अर्द्धचिकित्सा कर्मचारी और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

मौजूदा राज्य स्तरीय 9 संस्थानों को 650 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत करके राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में बदलने का फैसला किया गया है।

2.2.7 इन्फ्लूएंजा-ए एच1एन1 महामारी

इस महामारी का प्रबंधन प्रभावशाली ढंग से किया गया है। विदेशों से आने वाले एक करोड़ से अधिक यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच की गई, एच1एन1 मामलों की जांच के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, राज्य सरकारों को ऑसेल्टामिविर दवा की निःशुल्क आपूर्ति की गई तथा टीकों का आयात करके राज्य सरकारों को आपूर्ति की गई।

2.2.8 मानव अंगों के प्रतिरोपण संबंधी कानून में संशोधन

मानव अंगों के निर्माण, मस्तिष्क मृत्यु की घोषणा और **स्वैप** दान की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मानव अंग प्रतिरोपण कानून, 1994 को संशोधित करने के लिए विधेयक पेश किया गया।

2.2.9 चिकित्सा संस्थाओं का नियमन

सरकार ने अनियंत्रित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा बनाने और चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए अनिवार्य मानकों को लागू करने के लिए विधेयक पेश किया।

2.2.10 सार्वजनिक क्षेत्र में टीका निर्माण इकाइयां

कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कुन्नूर

में भारतीय पाश्चर संस्थान तथा गिंडी में बीसीजी को टीकों का निर्माण शुरू करने के लिए समर्थ बनाया गया है।

2.3 बाल अधिकार

2.3.1 समेकित बाल विकास योजना की पुनर्संरचना एवं सार्वभौमिकीकरण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की प्रत्येक बस्ती में एक आंगनबाड़ी केंद्र काम करे,792 नई परियोजनाओं और 2,91,000 आंगनबाड़ियों केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें लघु आंगनबाड़ियां और 20,000 (मांग पर) आंगनबाड़ियां शामिल हैं। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 14 लाख हो जाएगी। 6 वर्ष से कम उम्र के लगभग 725 लाख बच्चे तथा करीब 160 लाख गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं फिलहाल पूरक पोषण का लाभ प्राप्त कर रही हैं। लगभग 350 लाख बच्चे इन केंद्रों में प्री-स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के खुल जाने से यह संख्या और बढ़ जाएगी।

सरकार ने पोषण और आहार संबंधी मानकों को दुगुना कर दिया है। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अब प्रातःकाल में स्नैक्स और दोपहर को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को घर ले जाने के लिए राशन मिलेगा और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी घर के लिए ज्यादा राशन मिलेगा। गंभीर रूप से कुपोषण ग्रस्त बच्चों को घर ले जाने के लिए अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है।

2.3.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और रक्षा करने के लिए वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई है। जन अशांति वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए इस वर्ष व्यापक कार्य किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए 'बाल बंधु' योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्राथमिकता - शिशु मृत्यु दर में कमी लाना

तैयार की गई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 एनसीपीसीआर को मुख्य प्राधिकरण बनाया गया है।

2.3.3 समेकित बाल सुरक्षा योजना

सरकार ने केंद्र प्रायोजित व्यापक कार्यक्रम समेकित बाल सुरक्षा योजना 2009-10 से शुरू किया है। इससे मुश्किल परिस्थितियों में बच्चों के कल्याण में सुधार होगा। इसके साथ ही बच्चों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और माता-पिता से बच्चों के अलगाव जैसी स्थितियों से बचाने में मदद मिलेगी।

उत्तम शिक्षा : शैक्षिक सुधार

सामाजिक समावेश

"हम मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ, सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ, पारदर्शी तरीके से, समाज की अन्तिम कतार में खड़े सबसे गरीब आदमी तक पहुंचाएं।"

– श्रीमती सोनिया गांधी

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

3 सामाजिक समावेश

3.1 खाद्य सुरक्षा

सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक बहस तथा प्रतिक्रियाएं जानने के लिए जारी करने का प्रस्ताव है।

3.2 महिला सशक्तिकरण

3.2.1 महिला आरक्षण विधेयक

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता और भेदभाव दूर करने का सशक्त और अपरिहार्य औजार है। उक्त उद्देश्य के लिए लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से लगभग एक तिहाई महिलाओं के लिए 15 साल तक आरक्षित करने के लिए राज्य सभा में 6 मई 2008 को संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008 पेश किया गया। राज्यसभा ने इस विधेयक को 9 मार्च, 2010 को पारित कर दिया है।

स्वयं सहायता समूह की बैठक

3.2.2 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण

शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243टी में संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है।

3.2.3 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

सरकार ने मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं में सभी महिलाओं के पक्ष वाले/महिला केंद्रित कार्यक्रमों के अंतरक्षेत्रीय रूपांतरण के लिए 8 मार्च, 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्थापित किया है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण इस मिशन की गतिविधियों का अवलोकन करेगा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

3.2.4 राष्ट्रीय महिला कोष की पुनर्संरचना

सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष की कॉरपस राशि मौजूदा 100 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 500 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है।

3.2.5 केंद्र सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना

यूपीए सरकार रोजगार में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने तथा अपने कर्मचारियों की नीतियों को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि भर्ती संबंधी सभी विज्ञापनों में ये संदेश शामिल होगा कि सरकार कर्मचारियों का ऐसा तंत्र विकसित करना चाहती है, जिसमें स्त्री-पुरुष समानता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन

करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। महिला उम्मीदवारों को सीधी भर्ती/विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं/साक्षात्कार के जरिए सीधी भर्ती में यूपीएससी/एसएससी के जरिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि दस से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए सभी भर्ती बोर्डों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। पूर्ण वेतन पर दो वर्ष तक बाल देखभाल अवकाश महिला कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है ताकि वे 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल कर सकें।

3.2.6 व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिंक समानता

व्यक्तिगत कानूनों में स्त्री-पुरुष समानता लाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत कानून (संशोधन) विधेयक-2010, 22 अप्रैल, 2010 को राज्यसभा में पेश किया गया जिसमें अभिभावक एवं वार्ड अधिनियम, 1890 और हिन्दू दत्त्क ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम,1956 में संशोधन का प्रावधान है।

3.3 कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण एवं विकास

3.3.1 निम्नलिखित क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाना

(क) शिक्षा :

क. छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि

वर्ष 2009-10 में लगभग 40 लाख विद्यार्थियों के लाभार्थ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए दसवीं कक्षा बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 1,015.96 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2010-11 में आय सीमा और छात्रवृत्ति दरों में संशोधन के लिए इस योजना के तहत 1,700 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के 13,76,745 विद्यार्थियों की सहायता के लिए 2009-10 में दसवीं कक्षा बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 270.86 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2009-10 में अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 14 लाख विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय

शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने की ओर

सहायता के रूप में 172.97 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसी अवधि में अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 17 लाख विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 31.73 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2010-11 के लिए इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

ख- उच्च श्रेणी शिक्षा योजना

वर्ष 2009-10 में प्रमुख संस्थाओं में प्रवेश में सफल अनुसूचित जाति के 541 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। इस योजना के तहत शामिल संस्थानों की संख्या भी 125 से बढ़कर 177 हो गई है। 2010-11 में इस योजना के तहत प्रावधान बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह, इस योजना के तहत वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति के 88 विद्यार्थियों को 1.75 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है।

ग- राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

2009-10 में एमफिल, पीएचडी और समकक्ष उपाधि के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जारी वर्तमान छात्रवृत्तियों के नवीकरण और 1,333 नई छात्रवृत्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 105 करोड़ रुपये दिए गए। 2010-11 में इस योजना के तहत प्रावधान 2009-10 के 80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 160 करोड़ रुपये कर दिया गया है। छात्रवृत्तियों की कुल संख्या अब बढ़कर 2,000 हो गई है।

इसी तरह, वर्ष 2009-10 में इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 2,777 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए।

(ख) ऋण

वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जातियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य पिछड़े वर्गों के करीब दो लाख लोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए लगभग 394 करोड़ रुपये की राशि कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजातियों के 37, 439 लाभार्थियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के जरिए 83.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।

3.3.2 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं की राशि में वृद्धि

वर्ष 2009-10 के बजट में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई) की घोषणा की गई थी। पी.एम.ए.जी.वाई प्रायोगिक आधार पर सौ करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और असम के 1,000 ऐसे गांव का समेकित विकास करना है, जहां की आधी आबादी अनुसूचित जातियों के लोगों की है। प्रत्येक गांव को ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन योजना के तहत मिलने वाली राशि से 10 लाख रुपये अधिक खर्च करने की अनुमति होगी। वर्ष 2010-11 के लिए इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

3.3.3 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों को भू-अधिकार प्रदान करना

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों को वन अधिकार प्रदान करने के ऐतिहासिक कानून का अनुपालन कराने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। मार्च 2010 तक, 7.82 लाख से अधिक अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। गहन जागरूकता अभियान के कारण बहुत अधिक संख्या में दावे दाखिल किए गए हैं। इन दावों का निपटारा पूरी तेज़ी से किया जा रहा है।

सामाजिक समावेश

3.3.4 आदिम जनजातियों का कल्याण और विकास

विशेष रूप से संवेदनशील आदिम समूह के परिवारों में से कमाने वाले एक सदस्य के हिसाब से 4,31,900 परिवारों को जनश्री बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2009-10 में 2,000 परिवारों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।

दीर्घावधि संरक्षण सह विकास योजना के तहत 11वीं योजना में 670 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 83.61 करोड़ रुपये 2009-10 में खर्च किए गए।

3.3.5 मनरेगा के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खेतों का विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में संशोधन किया गया है, ताकि कमजोर तबकों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधाओं, बागबानी रोपण और भू विकास सुविधाओं के प्रावधान को भी इस योजना के तहत लाया जा सके।

3.4 अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी कार्यक्रम

3.4.1 अल्पसंख्यकों को विकास के लाभ देना

प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए छात्रवृत्तियां

यह सुनिश्चित किया गया है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में जो धन और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनका 15 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना संभव लग रहा है, उन्हें अलग से चिन्हित किया जाए।

2009-10 में तीन नई योजनाएं जोड़ी गईं। ये हैं - (1). राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2). शहरी बुनियादी ढांचा एवं प्रशासन और (3). छोटे और मझौले शहरों के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजना। अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले 17 कस्बों में कार्यान्वयन के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के बुनियादी ढांचा एवं प्रशासन घटक के तहत 8,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 64 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। छोटे और मझौले कस्बों के घटक के लिए शहरी ढांचागत विकास योजना के तहत 83 कस्बों में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली 101 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले विकास खंडों और जिलों में 4,457 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया। 3,530 नए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए। 20,588 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण किया गया, 27 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मंजूरी दी गई तथा 7,765 शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई।

2009-10 में (दिसंबर 2009 तक) अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 502 शाखाएं खोली गईं। 2009-10 में (सितंबर 2009

तक) अल्पसंख्यकों को 96,000 करोड़ से अधिक रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए।

प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम के भाग के रूप में अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में स्थित 60 आई.टी.आई का उन्नयन किया जाना है।

3.4.2 निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए पहुंच में वृद्धि:

शिक्षा

2009-10 में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को 10वीं कक्षा पूर्व शिक्षा के लिए 17.29 लाख छात्रवृत्तियां दी गईं। इस पर 202.94 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। 10वीं कक्षा पूर्व छात्रवृत्तियों में से 48 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों को दी गईं। 10वीं कक्षा उपरांत छात्रवृत्ति योजना के तहत 148.74 करोड़ रुपये की 3.88 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से लगभग 55 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों को दी गईं। योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के तहत 97.51 करोड़ रुपये की 35,982 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, जिनमें से लगभग एक तिहाई छात्रवृत्तियां लड़कियों को दी गईं। 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की छात्रवृत्ति के तहत 15,070 लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिस पर 18.08 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 756 छात्रवृत्तियां जल्दी ही प्रदान की जाएंगी, जिनमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों को मिलेंगी।

ऋण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम ने 2009-10 में अल्पसंख्यक समुदाय के 1,04,594 लाभार्थियों को 197.75 करोड़ रुपये वितरित किए, जिसमें से 54.53 करोड़ रुपये की राशि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 68,451 लाभार्थियों को दी गई।

3.4.3 वक्फ़ विकास

वक्फ़ कानून 1995 में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है। इसमें वक्फ़ सम्पतियों का सर्वेक्षण समय पर पूरा करने, वक्फ़ सम्पतियों के हस्तांतरण की आशंका को कम करने, वक्फ़ सम्पतियों पर कब्जों को रोकने के लिए दंड, वक्फ़ बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और वक्फ़ बोर्डों द्वारा वक्फ़ की सम्पतियों के प्रशासन में कुशलता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रावधान है। लोक सभा ने 7 मई 2010 को यह विधेयक पारित कर दिया।

एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के तहत फरवरी 2010 में वक्फ सेवाओं की सम्पतियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 11 राज्यों के वक्फ़ बोर्डों, केंद्रीय वक्फ़ परिषद और राष्ट्रीय सूचना केंद्र सेवाओं को 8.06 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

3.4.4 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय जिला योजनाएं

अल्पसंख्यक बहुलता वाले 90 चिन्हित जिलों में से 80 जिलों के लिए 2,343.75 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित राशि की जिला योजनाएं (15 पूर्ण और 65 आंशिक रूप से) मंजूर की गई हैं।

3.5 अक्षमता से सशक्तिकरण

दृष्टि बाधितों के लिए वेबसाइट

3.5.1 नए सिरे से ध्यान देना और राशि में वृद्धि

केंद्र सरकार के अस्पतालों में प्रमाणन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 30 दिसंबर, 2009 से केंद्रीय

अक्षम व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 को संशोधित किया गया है।

2010-11 में अक्षमता क्षेत्र के लिए राशि में करीब 73 प्रतिशत की वृद्धि करके 450 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2009-10 में 260 करोड़ रुपये थी।

3.5.2 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के जरिए ऋण वितरण

वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने 6,093 लाभार्थियों को 30.8 करोड़ रुपये वितरित किए।

3.6 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

3.6.1 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभार्थियों तथा 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को 200 रुपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी इस राशि में अपना योगदान देती हैं। योजना के लाभार्थियों की संख्या 163 लाख तक पहुंच गई है।

वर्ष 2009-10 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना के तहत सरकार की सहायता से गैर सरकारी संगठनों की ओर से चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों, डे केयर सेंटर और मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लगभग 33,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया।

3.6.2 बजट में घोषित लाभ

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं की राशि 2009-10 में 37 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2010-11 में 140 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो लगभग तीन गुना अधिक है।

3.7 भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत रक्षाकर्मियों का कल्याण

3.7.1 भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

यूपीए सरकार भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें नए काम/रोजगार की तैयारी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी

की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसके फलस्वरूप 2009-10 में 50,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक रोजगार पाने में सफल हो सके।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ और नागरिक अस्पतालों और निदान केंद्रों को पैनल में शामिल किया गया है। विकलांग भूतपूर्व सैनिक अब पुणे के कृत्रिम अंग केंद्र के अलावा पैनल में शामिल अतिरिक्त केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के 149 केंद्रों से कृत्रिम अंग संबंधी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के सदस्यों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है।

21 ऐसे राज्य सैनिक बोर्डों (32 में से) तथा 184 जिला सैनिक बोर्डों (358 में से) को, जिनमें आईटी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा के साथ कम्प्यूटर खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराया गया है।

3.7.2 रक्षा सेवा कर्मियों और पेंशनधारकों का कल्याण

रक्षा सेवा कर्मियों और पेंशनधारकों के कल्याण के बारे में विशेष सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। यूपीए सरकार ने इसकी सिफारिशें स्वीकार कर लीं और इससे लगभग 12 लाख सैन्य कर्मियों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

3.7.3 रक्षा सेवा कर्मियों का कल्याण

यूपीए सरकार ने सशस्त्र बलों के कर्मियों की शिकायतों के निपटारे के सिलसिले में अपील का मंच उपलब्ध कराने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की है। राष्ट्रपति ने 8 अगस्त 2009 को इस न्यायाधिकरण का औपचारिक उद्घाटन किया। इसकी प्रधान पीठ ने नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोच्चि, चेन्नई और कोलकाता में काम करना शुरू कर दिया है। यह न्यायाधिकरण सशस्त्र बलों के कर्मियों को तेजी से न्याय दिलाएगा।

दूरदराज के सीमा क्षेत्रों में तैनात तथा भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कठिनाइयों का सामना करने वाले सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए अवकाश के दिनों में उनको जल्दी लाने-ले जाने के वास्ते विमान चार्टर करने की मंजूरी दे दी गई है। यह सुविधा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में तैनात सैन्य कर्मियों को भी उपलब्ध है।

3.7.4 प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

सैन्य कर्मियों के परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष के तत्वावधान में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत अवकाशप्राप्त कर्मियों, सशस्त्र बलों के शहीदों और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को हर साल छात्रवृत्ति दी जाती हैं। 2009-10 में 7.40 करोड़ रुपये की राशि 4,525 विद्यार्थियों को प्रदान की गई।

3.8 कामगारों का कल्याण

3.8.1 असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

असंगठित क्षेत्र में बुनकरों, रिक्शा चालकों और बीड़ी मजदूरों जैसे कामगारों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का फैसला किया गया है।

3.8.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2009-10 में 99.03 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

3.8.3 संगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

यूपीए सरकार ने संगठित क्षेत्र में कामगारों के हित के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कामगारों को अधिक लाभ देने के लिए कामगार क्षतिपूर्ति

अधिनियम, 1923 में संशोधन किए गए हैं। अधिकतम ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 3.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.0 लाख रुपये करने के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी राज्य बीमा कानून 1948 के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में बीमाशुदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य लाभों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अधिनियम, में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव है। बागान श्रमिकों को सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराने के लिए बागान श्रमिक अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है।

3.9 वित्तीय समावेश

वित्तीय समावेश एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। 2009-10 में देश की अब तक अछूती आबादी तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक की अनुमति लिए बिना टियर-III और टियर-VI केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 की आबादी तक) में शाखाएं खोलने की छूट दे दी है। इसके अलावा 31 दिसंबर, 2009 तक बैंकों ने 5.63 करोड़ 'नो फ्रिल' अकाउंट' खोले हैं। बिजनेस कॉरस्पोंडेंट मॉडल की समीक्षा की गई है तथा व्यक्तिगत किराना, चिकित्सा, उचित मूल्य की दुकान के मालिकों, पीसीओ ऑपरेटरों, लघु बचत, बीमा कंपनियों के एजेंट, पेट्रोल पम्पों के मालिकों, अवकाशप्राप्त शिक्षकों और बैंकों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को चलाने वाले अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे बैंकों के वित्तीय समावेश के प्रयासों में उल्लेखनीय तेजी आने की संभावना है।

आत्मनिर्भरता के सपने हुए साकार

ग्रामीण नवीकरण

"आज़ाद भारत के इतिहास में सामाजिक सुरक्षा की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की दिशा में, महात्मा गांधी नरेगा का बहुत ही ऊंचा स्थान है । कई मायने में यह योजना सबसे गरीब और कमजोर तबकों के प्रति हमारे संकल्प का बेमिसाल नमूना है।"

– श्रीमती सोनिया गांधी

ग्रामीण दूरसंचार

ग्रामीण नवीकरण

सड़कों से ग्रामीण जीवन में बदलाव

4. ग्रामीण नवीकरण

4.1 भारत निर्माण

यूपीए सरकार भारत निर्माण के दूसरे चरण (2009-10 से 2014-15) के जरिये व्यापक ढंग से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करके समावेशी विकास के प्रति वचनबद्ध है। सभी पात्र गांवों/ बस्तियों को विद्युत, स्वच्छ पेयजल, हर मौसम के लिए अनुकूल सड़कें, टेलिफोन और ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए तथा ग्रामीण आवास एवं सिंचाई की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

4.1.1 ग्रामीण आवास

पहले चरण में 60 लाख के लक्ष्य की तुलना में 71.8 लाख घरों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण के लिए 120 लाख मकानों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक लगभग 11,000 करोड़ रुपये की राशि से 31 लाख से अधिक आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया है।

4.1.2 ग्रामीण सड़कें

भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू होने के बाद से 35,000 से अधिक बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है तथा 1,90,000 किलोमीटर मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया है। 2009-10 में 3,344 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया तथा लगभग 35,500 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया।

4.1.3 ग्रामीण जल आपूर्ति

पहले चरण में 3.5 लाख से अधिक बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। यह कार्य कमोबेश पूरा हो चुका है तथा अब पानी की गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों की ओर ध्यान देने को प्राथमिकता दी जा रही है। रसायन प्रदूषण से प्रभावित लगभग 28,672 बस्तियों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया गया है।

4.1.4 सिंचाई

पहले चरण में 73.1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई। उसके बाद

ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रभाव

ग्रामीण नवीकरण

7.11 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई।

4.1.5 बिजली

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2009-10 में 17,500 गैर-विद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के मुकाबले 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 47 लाख परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य की तुलना में 47.18 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

4.1.6 ग्रामीण दूरसंचार

भारत निर्माण के तहत सार्वजनिक टेलीफोन से वंचित गांवों को ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराए गए हैं। 31मार्च, 2010 तक कुल 5,93,601 गांवों में से 5,69,385 गांवों को वीपीटी उपलब्ध करा दिए गए हैं। 2,50,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिनमें से एक तिहाई पंचायतों को यह सुविधा मिल चुकी है।

मनरेगा के तहत ग्रामीण रोज़गार

4.2 ग्रामीण रोजगार

4.2.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2006 में योजना के प्रारंभ से लगभग 70,000 करोड़ रुपये के कुल खर्च से करीब 600 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 2009-10 में लगभग 4.90 करोड़ परिवारों को 40.98 लाख कार्यों के जरिये कुल 33,087 करोड़ रुपये के खर्च से 251 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। औसत मजदूरी की दर 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 2009-10 में 90 रुपये हो गई।

अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए इसकी अनुसूची में अनेक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में जॉब कार्डों और उनमें दिए गए ब्यौरे की सुरक्षा, बैंकों और डाकघरों के जरिए मजदूरी का वितरण, रिकॉर्ड का रख-रखाव, सूचनाओं की स्वतः जानकारी देना तथा सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान अपनाये जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं।

राज्यों के श्रम बजटों के आधार पर धन जारी करने के लिए स्पष्ट कसौटी तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। राज्यों को उपलब्ध बजट की छह प्रतिशत राशि कर्मियों के प्रशासनिक खर्चों, सूचना प्रौद्योगिकी, निगरानी, प्रशिक्षण, प्रचार, सामाजिक लेखा-परीक्षा तथा शिकायत निपटान प्रणाली पर व्यय करने की अनुमति दी गई है।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। 76 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा-परीक्षा कराई जा चुकी है। शिकायत समाधान तथा मनरेगा के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में लोकपाल के रूप में प्रतिष्ठित और जाने-माने व्यक्ति को नियुक्त करने का फैसला किया गया है। शिकायतें दर्ज कराने तथा कानून के तहत मजदूरों की योग्यता और अधिकारों के संरक्षण के लिए मंत्रालय से पूछताछ करने में समर्थ बनाने के लिए टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन-**1800110707** स्थापित की गई है।

मनरेगा के तहत लाभार्थियों को डाकघरों और बचत बैंक खातों के जरिए मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। फरवरी, 2010 तक इस योजना के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए देश भर में 9 करोड़ से अधिक बचत बैंक खाते और डाकघर खाते खोले जा चुके हैं।

4.3 कृषि - खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण की ओर

4.3.1 2009 के सूखे का प्रबंधन

2009 में देश में भीषण सूखा पड़ा। यूपीए सरकार ने सूखे के असर को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 4,806 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी। हालात से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, जिनमें खड़ी फसलों को बचाने के लिए पूरक सिंचाई हेतु डीजल सब्सिडी योजना की शुरूआत, केंद्रीय पूल से बिजली का अतिरिक्त आवंटन, समुचित कृषि परामर्श जारी करना, कृषि में काम आने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, बिना बोये/फसल का जमाव विफल होने से संबंधित क्षेत्रों में राहत के लिए राज्यों को प्रमाणित बीजों हेतु अतिरिक्त

स्प्रिंक्लर सिंचाई

सब्सिडी उपलब्ध कराना तथा अधिक उत्पादन के लिए कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन के इस्तेमाल की अनुमति देना शामिल हैं। हमारे किसानों की हिम्मत और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय पर उठाए गए कदमों से फसलों की उपज पर सूखे का प्रभाव बहुत कम हुआ।

4.3.2 भूमि में निवेश - राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को मिलाकर एक ही समेकित परती भूमि प्रबंधन कार्यक्रम बना दिया गया है। 22 राज्यों में कुल 62.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 1,326 परियोजनाओं के लिए 501.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। भू-कटाव और भू-अपरदन को रोकने तथा भूमि के विभिन्न प्रकार के उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के मद्देनज़र वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना नामक केंद्रीय योजना कार्यान्वित की जा रही है। जनवरी 2010 तक 179.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसके दायरे में लाया जा चुका है।

4.3.3 कृषि में काम आने वाली वस्तुओं पर ध्यान

क. बीज

बीज ग्राम योजना के तहत बीजों के उत्पादन में किसानों की भागीदारी प्रणाली को महत्व दिया गया। इसके लिए 65,000 से अधिक बीज ग्रामों का आयोजन किया गया, जिस पर किया गया खर्च पिछले चार वर्षों में किए गए कुल खर्च से दोगुना था।

ख. उर्वरक

कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक प्रमुख साधन है। 2009-10 के दौरान प्रमुख उर्वरकों की मांग सर्वोच्च रही है। यूरिया का घरेलू उत्पादन स्थिर रहा तथा ज़रूरत की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता बनी रही। इसके बावजूद यूपीए सरकार उर्वरकों की मांग का प्रबंधन करने में सफल रही है।

पोषण अनुप्रयोग में असंतुलन को ठीक करने, सूक्ष्म पोषकों वाले भू-विशिष्ट उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने, उर्वरकों के त्वरित उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया के अलावा सभी उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से पोषण आधारित सब्सिडी नीति (एनबीएस) शुरू की गई।

ग. ऋण

2009-10 में (जनवरी 2010 तक) 2,66,433 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। किसान 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त कर रहे हैं। यूपीए सरकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लघु अवधि फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उपलब्ध करा रही है। सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को लोकतांत्रिक, स्वायत्त और पेशेवर बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव

खाद्य सुरक्षा के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी

है। संविधान (111वां संशोधन) विधेयक, 2009 लोकसभा में पेश किया जा चुका है।

4.3.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

चावल और गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में महत्पवूर्ण वृद्धि हुई है। बीज, पानी, उर्वरक तथा संकर नस्ल के चावल जैसी कृषि के काम आने वाली चीजों के संरक्षण की नई प्रणाली के बारे में किसानों तक जानकारी पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। 2009-2010 के दौरान इसके लिए 1019.16 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

4.3.5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

2009-10 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस योजना के तहत 3,761.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। 2010-11 के लिए इस राशि में भारी वृद्धि करके इसे 6,722 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना से राज्यों में कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में मदद मिली है।

4.3.6 विस्तार सेवाओं में सुधार

राज्यों में विस्तार सेवा सुधार कार्यक्रमों को सहायता देने का काम इस समय 29 राज्यों और दो

केंद्रशासित प्रदेशों के 591 ग्रामीण जिलों में चलाया जा रहा है। 2009-10 में इस योजना से 8.49 लाख महिलाओं सहित 41.60 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। 2009-10 में 14,252 किसान हित समूह बनाए गए।

4.3.7 राष्ट्रीय बाग़बानी मिशन

2009-10 में 800 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय बाग़बानी मिशन के तहत कार्यक्रमों के फलस्वरूप 2005-06 की तुलना में 2009-10 में फलों, सब्जियों और मसालों का उत्पादन क्रमशः 25.6 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत बढ़ गया। 2009-10 में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर क्रमशः 164 ग्राम / व्यक्ति/ दिवस और 322 ग्राम / व्यक्ति / दिवस हो गई है। इसकी तुलना में 2005-06 में इनकी उपलब्धता क्रमशः 138 ग्राम/ व्यक्ति/ दिवस और 279 ग्राम/ व्यक्ति/ दिवस थी।

4.3.8 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

उत्तराखंड में हरिद्वार में मेगा फूड पार्क की फ्लैगशिप स्कीम के रूप में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। 650 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश में सिरनी, झारखंड में रांची, असम में नलबाड़ी, तमिलनाडु में धरमपुरी और पश्चिम बंगाल में जांगीपुर में मेगा फूड पार्क बनाने का काम चल रहा हैं।

4.3.9 पशु पालन

यूपीए सरकार ने पशुधन बीमा योजना को 100 चुनिंदा जिलों से बढ़ाकर दिसंबर 2009 से 300 चुनिंदा जिलों में लागू कर दिया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2009-10 में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक नई केंद्र प्रायोजित मुर्गी पालन विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का एक घटक ग्रामीण बैकयार्ड मुर्गी पालन विकास है, जिसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने तथा पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ बनाना है।

4.4 पंचायती राज

4.4.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम 250 चुनिंदा जिलों में पंचायतों के जरिए लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास में मौजूद खाई को पाटने तथा विकेंद्रीकृत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के जरिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। 2009-10 में चुनिंदा जिलों के लिए 3,600 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की गई है। 246 जिलों में स्थानीय निकायों द्वारा विकेंद्रीकृत योजना तैयार करना

आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी पर बल

एक बड़ी उपलब्धि रही। इससे स्थानीय जरूरतों की पूर्ति हुई है।

4.4.2 पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई-प्रशासन

सभी 2.36 लाख पंचायतों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए कम्प्यूटिंग सुविधाएं मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिस पर अगले तीन वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ई-पंचायत कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2009-10 में प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। नागरिकों से संबंधित सेवाओं के लिए सामान्य सेवा केंद्र काम करेंगे, जबकि पंचायत कार्यालयों में ई-पंचायत के जरिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

4.4.3 पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण

पंचायतों में त्रिस्तरीय रूप से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 डी को संशोधित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। फिलहाल पंचायतों के लगभग 28.18 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों में से सिर्फ 37 प्रतिशत ही महिलाएं हैं।

4.4.4 ग्राम सभा वर्ष

2 अक्तूबर 2009 को पंचायत राज के 50 वर्ष पूरे हो गए। स्व-शासन में ग्राम सभाओं के महत्व को देखते हुए ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 2 अक्तूबर 2009 से 2 अक्तूबर 2010 की अवधि को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

ग्रामीण रोज़गार में पारदर्शिता

शहरों का कायाकल्प

"अगले बीस वर्षों में हमारी शहरी आबादी लगभग दोगुनी होने वाली है। यह चुनौती भी है और विशेष अवसर भी और इस चुनौती से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रशासन को हमारी संघीय प्रणाली के हर स्तर पर ठोस कार्रवाई करनी होगी।"

– डॉ. मनमोहन सिंह

आधुनिक बुनियादी सुविधाएं

शहरों का कायाकल्प

5 शहरों का कायाकल्प

5.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 31 मार्च 2010 तक शहरी बुनियादी ढांचा प्रशासन घटक के अंतर्गत 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिस पर 58,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसमें 27,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में शामिल है। परियोजनाओं को लागू करने और बसों की खरीद के लिए करीब 12,300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के घटक छोटे एवं मझौले कस्बों के शहरी ढांचागत विकास के तहत लगभग 12,900 करोड़ रुपये की 763 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 10,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में है। विभिन्न राज्यों को 6,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। शहरी बुनियादी ढांचा प्रशासन के तहत 61 परियोजनाएं और छोटे एवं मझौले कस्बों के शहरी ढांचागत विकास योजना के तहत 102 परियोजनाएं 31मार्च, 2010 तक पूरी हो गई हैं।

यूपीए सरकार ने सात बड़े शहरों के आस पास के सेटेलाइट कस्बों में शहरी ढांचागत विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की प्रायोगिक योजना प्रारंभ की है।

1,371 करोड़ रुपये की राशि के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के पहले चरण का कार्यान्वयन 2009-10 में शुरू हुआ।

5.2 जन परिवहन - मेट्रो परियोजनाएं एवं बसें

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 45.83 किलोमीटर मेट्रो लाइन जोड़ी गई। नोएडा को दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। चेन्नई में 14,600 करोड़ रुपये की कुल लागत की 45.046 किलोमीटर लम्बी तथा मुंबई में 2,356 करोड़ रुपये की लागत की 11.07 किलोमीटर लम्बी नई मेट्रो परियोजनाएं शुरू की गईं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों का कायाकल्प

दिल्ली नगर निगम का नया भवन

अहमदाबाद में बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत केंद्र सरकार का एक प्रयास है, जिसमें 18 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर बी.आर.टी.एस चालू की गई। इस योजना को राष्ट्रीय जनपरिवहन परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ स्थायी शहरी परिवहन परियोजना का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 61 शहरों में शहरी परिवहन को बढ़ावा देने तथा आधुनिकरण के लिए 15,260 मॉडर्न इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट इनेबल्ड बसों को मंजूरी दी गई, जिनमें से लगभग 6,500 बसें चलने लगी हैं।

5.3 शहरी गरीबों के लिए आवास

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं में लगभग 36,000 करोड़ रुपये शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने तथा स्लम विकास के लिए चलाए जा रहे कायक्रमों के लिए रखे गए हैं। गरीबों और झुग्गी-झोपड़ीवासियों के लिए लगभग 15 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के जरिए स्लममुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से स्लम और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना नाम की नई योजना की घोषणा की गई है।

5.4 सरकारी-निजी भागीदारी पहल

भारत ढांचागत परियोजना विकास कोष के तहत 47 सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के यू.आई.जी घटक के तहत सरकारी- निजी भागीदारी वाली 68 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

आर्थिक पुनरुत्थान

"यह कहने में मुझे खुशी है कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में वैश्विक आर्थिक मंदी से बेहतर ढंग से निपट सका ....बेहद विपरीत परिस्थितियों में ऐसा कर पाना हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का सूचक है। इससे इस बात की भी काफी हद तक पुष्टि होती है कि सरकार ने मंदी से निपटने के लिए जो कदम उठाए वे सही थे।"

– डॉ. मनमोहन सिंह

सेलम इस्पात संयंत्र में निर्माणाधीन कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्पलेक्स

आर्थिक पुनरुत्थान

6 आर्थिक पुनरुत्थान

6.1. बृहत् आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक वृद्धि

भारत की अर्थव्यवस्था 2005-06 से 2007-08 की अवधि में 9.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी हुई और 2008-09 में 6.7 प्रतिशत पर आ गई। 2009-10 में आर्थिक संकट से उबरने के स्पष्ट संकेत नजर आए और आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। सामान्य से कम मानसून के कारण कृषि में फिर से उत्पादन में 0.2 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था संकट से उबरने में सफल रही। विनिर्माण क्षेत्र में फिर से आई तेजी से अर्थव्यवस्था में सुधार को और बल मिला। विनिर्माण क्षेत्र में 2009-10 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में 2008-09 में यह वृद्धि केवल 3.2 प्रतिशत थी।

प्रोत्साहन उपाय

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने का मुख्य कारण भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाले उपाय हैं। वित्तीय प्रोत्साहन उपाय 2009-10 के बजट में भी जारी रहे।

निवेश वातावरण

1- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में मौजूदा नियमों को सुदृढ़ बनाने का एक बड़ा प्रयास किया गया। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के बारे में सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, जिससे और विदेशी निवेशकों तथा विभिन्न क्षेत्रों के नियामकों के बीच अधिक स्पष्टता और समझ आ सकी है।

कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल निर्माण के अंतिम चरण में

2- औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग तथा फिक्की द्वारा एक संयुक्त उपक्रम कंपनी 'इनवेस्ट इंडिया' बनाई जा रही है, जो बिना किसी लाभ के काम करेगी। यह कंपनी एक ही स्थान पर संभावित विदेशी निवेशकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सुगठित तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

3- वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के बावजूद चालू वित्त वर्ष में फरवरी 2010 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 24.68 अरब अमरीकी डॉलर का रहा, जो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सामान्य गिरावट के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा था।

मूल्यों की स्थिति

2009 वर्ष की शुरुआत थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की काफी कम दर पर हुई, जो अप्रैल 2009 में 1.3 प्रतिशत और जून से अगस्त 2009 तक नकारात्मक बनी रही। उसके बाद धीरे-धीरे थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में वृद्धि होती रही, जिसके पीछे दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य नहीं रहने के कारण विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में कमी की आशंका थी।

यूपीए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा मुद्रास्फीति को सामान्य करने के लिए लघु और मध्यम अवधि के अनेक उपाय किए हैं। कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए बाजार में जारी करने हेतु पर्याप्त अनाज मौजूद है। 50 लाख टन गेहूं और चावल का अतिरिक्त भंडार बनाया गया है। खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के तहत खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को अक्तूबर 2009 से मार्च 2010 के बीच 20 लाख टन गेहूं जारी किया गया। गरीबों को राहत देने के लिए चावल और गेहूं के सेंट्रल इश्यू प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चावल की कीमतों में वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए अक्तूबर 2009 से मार्च 2010 की अवधि में खुदरा उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को 10 लाख टन चावल जारी किया गया।

रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए मांग प्रबंधन के वास्ते अनेक उपाय किए हैं।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए किए गए अन्य उपायों में निर्यात पर सीमित प्रतिबंध, अनाज के वायदा कारोबार पर रोक, भंडार की सीमा तय करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य वस्तुओं की आवाजाही को नियंत्रित रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए दलहनों और चीनी के आयात की अनुमति देना और आयातित दलहनों और खाद्य तेलों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करना शामिल है। ज्यादा उदार आयात नीति के जरिए उपलब्धता बढ़ाने के अलावा यूपीए सरकार ने चीनी के लेवी प्रतिशत को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से जुड़े मसलों पर विचार करने के लिए 15 मार्च, 2010 को मुख्य मंत्रियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों का एक स्थायी कोर ग्रुप बनाया गया। इस कोर गुप की पहली बैठक 8 अप्रैल, 2010 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई।

6.1.2 सुधार

प्रत्यक्ष कर संहिता

प्रत्यक्ष करों को अधिक व्यवस्थित बनाने और कर सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता के चर्चा पत्र का मसौदा सार्वजनिक बहस के लिए

जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक चुस्त बनाना, उसमें समानता लाना तथा इसके ऐच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देना है।

वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर के स्वरूप पर व्यापक आम सहमति बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर -जीएसटी के बारे में चर्चा पत्र को सार्वजनिक बहस के लिए जारी किया है। जीएसटी की संरचना को अंतिम रूप देने के साथ-साथ इसके तेजी से कार्यान्वयन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति सतत् प्रयास कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर जन साधारण का स्वामित्व

विनिवेश नीति में सरकार के पास प्रमुख स्वामित्व और नियंत्रण रखते हुए जनसाधारण की संपदा और समृद्धि में भागीदारी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर जनसाधारण का स्वामित्व बढ़ाने पर बल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे केंद्रीय उपक्रमों की सूची बनाने का फैसला किया गया है जो सरकार की शेयरधारिता से बाहर पब्लिक आफर या नए शेयरों के जारी होने अथवा दोनों के संयोग से इंडियन स्टाक एक्सचेंज पर पिछले तीन साल से मुनाफा कमा रहे हैं। पब्लिक आफर के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश से इन कम्पनियों के मूल्य को नियंत्रण से बाहर निकालने में मदद मिली है।

2009-10 में पांच पब्लिक इश्यू पूरे किए गए तथा सरकारी कोष बढ़कर 23,552. 97 करोड़ रुपये हो गया। विनिवेश से प्राप्त इस राशि का इस्तेमाल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गांरटी योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम जैसी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की स्कीमों के तहत पूंजी व्यय की फंडिंग के लिए किया जा रहा है।

6.2 औद्योगिक कार्य निष्पादन

6.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े केंद्रीय उपक्रमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके प्रचालन के विस्तार एवं उन्हें वैश्विक कंपनी के रूप में खड़ा करने के लिए यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े केंद्रीय उपक्रमों के लिए "महारत्न" की श्रेणी शुरू करने का अनुमोदन किया है। इस योजना के तहत, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के बोर्ड, संयुक्त उपक्रमों/ सहायक इकाइयों में निवेश के क्षेत्र और नए पदों के सृजन के क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकारों को इस्तेमाल कर सकेंगे।

यूपीए सरकार ने अनिवार्य आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के लिए कार्पोरेट शासन के बारे में दिशानिर्देशों को जारी रखने का अनुमोदन किया है। इन दिशानिर्देशों के सतत कार्यान्वयन से शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हित का संरक्षण होगा तथा पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश समाज के व्यापक हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में तदर्थ की बजाए परियोजना पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करने के लिए जरूरी है। मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अब नॉन-लैप्सेबल सीएसआर बजट की दिशा में उनके शुद्ध

लाभ का निर्धारित प्रतिशत आबंटित करना होगा।

6.2.2 विनिर्माण क्षेत्र

2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट के असर के कारण समग्र औद्योगिक वृद्धि में भारी गिरावट आई। 2009-10 में उद्योग के सभी घटकों में इस संकट के असर से उबरने का रुख नज़र आया।

इस क्षेत्र में वृद्धि अक्तूबर 2008 में घटकर (-) 0.6 प्रतिशत हो गई थी, लेकिन जून 2009 से विनिर्माण क्षेत्र के संकट से उबरने के संकेत नज़र आने लगे। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर में आए इस सकारात्मक रुख के लिए प्रमुख योगदान विनिर्माण क्षेत्र का रहा है। इस क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की (अप्रैल-जनवरी) समग्र वृद्धि हुई, जो 2008-09 (अप्रैल-जनवरी) में 3.4 प्रतिशत थी। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में समायोजन और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के कारण घरेलू मांग में हुई वृद्धि भी विनिर्माण क्षेत्र में हुए सुधार का प्रमुख कारण रही।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा परिषद (एनएमसीसी), जो विनिर्माण क्षेत्र में समुचित नीतिगत प्रयासों की सिफारिश करने के लिए प्रमुख मंच है, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि तेज करने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए संबधित मंत्रालयों के परामर्श से विस्तृत नीति तैयार कर रही है।

6.2.3 कॉर्पोरेट प्रशासन सुधार

सरकार ने पहली बार भारत कॉर्पोरेट सप्ताह 2009 का अयोजन किया, जिसमें व्यापार एवं उद्योग संगठन, प्रोफेशनल, व्यापार निकाय और अन्य हितधारक शामिल हुए। भारत कॉर्पोरेट सप्ताह के अंतर्गत देश भर में 124 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में ऐच्छिक दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से उचित व्यापार व्यवहारों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

प्रोफेशनल निकायों, स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया की मदद से 300 से अधिक निवेशक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए और आम निवेशकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद के लिए बहुभाषी विज्ञापन अभियान चलाए गए।

कंपनी विधेयक, 2009 को संसद में पेश किया गया है, जिसे मौजूदा कंपनी अधिनियम के स्थान पर लागू किया जाएगा। इस विधेयक में निवेशकों की सुरक्षा के लिए अनेक उपायों को समाहित किया गया है तथा इससे कानून के नवाचार प्रावधानों के जरिए उचित कॉर्पोरेट व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा।

6.2.4 भारी उद्योग

भारी उद्योगों के विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 32 केंद्रीय उपक्रमों का सकल कारोबार 14.02 प्रतिशत (पिछले वर्ष की तुलना में) बढ़कर 38,628 करोड़ रुपये हो गया। कर पूर्व औसत लाभ 21.62 प्रतिशत बढ़कर (पिछले वर्ष की तुलना में) 4247 करोड़ रुपये हो गया। माल एवं सेवाओं का निर्यात 64 प्रतिशत बढ़कर (पिछले वर्ष की तुलना में) 13,522 करोड़ रुपये हो गया।

इंस्ट्रयूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा तथा हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटी, तमिलनाडु में राहत पैकेज लागू किया गया। 10 रुग्ण और घाटे में चल रही इकाइयों को वेतन/मजदूरी तथा अन्य सहायता के रूप में कुल 137.11 करोड़ रुपये जारी किए गए।

6.2.5 सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रम

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रमों से संबंधित ऋण, विपणन, श्रम, पुनर्वास, एक्जिट नीति, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, दक्षता विकास, कराधान और पूर्वोत्तर तथा जम्मू कश्मीर में सूक्ष्म, लघु और

मध्यप्रदेश के पन्ना में हीरे की नई खान में कार्यरत कामगार

मझौले उद्यम लगाने सहित विभिन्न मुद्दों पर उच्च स्तरीय कार्यबल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के बारे में परिषद गठित की गई है, जो इस क्षेत्र के लिए व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने और क्षेत्र के विकास की समीक्षा करने का काम करेगी। कार्यबल की सिफारिशों को समय से तथा तेजी से लागू करने और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समूह गठित किया गया है।

खादी सुधार के व्यापक कार्यक्रम पर अमल करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 15 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सुधार कार्यक्रम के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है।

6.2.6 क्षेत्रवार कार्य निष्पादन

दूरसंचार

2009-10 में टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या में 44 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि का अनुमान है, जिसमें करीब 60 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण टेलिफोन कनेक्शनों में हुई। ग्रामीण दूरसंचार घनत्व में 58 प्रतिशत वृद्धि सहित समूचे दूरसंचार घनत्व में 42 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वायरलैस कनेक्शनों में लगभग 49 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 62.2 लाख से बढ़कर 88 लाख हो जाने का अनुमान है।

3 जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बी.डब्ल्यू.ए) की नीलामी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो गई है। नीलामी के पूरा होने और स्पेक्ट्रम के

आवंटन के बाद अगली पीढ़ी के टेलिफोन उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर संभव हो सकेगा तथा मोबाइल कनेक्शन से मोबाइल एप्लीकेशन की ओर क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

बी.एस.एन.एल की कार्य प्रणाली की एक उच्चस्तरीय समिति ने समीक्षा की, जिसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

2009-10 में इन्फॉरमेशन टैक्नोलोजी-इन्फॉरमेशन टैक्नोलोजी एनेबल्ड सर्विसेज़ (आईटी-आईटीईएस), उद्योग का राजस्व (निर्यात एवं घरेलू) में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। घरेलू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग राजस्व में 22 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अगस्त 2009 में कार्यबल गठित किया गया, जिसने दिसंबर 2009 में रिपोर्ट सौंप दी।

उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले सेमीकन्डक्टर उद्योग और अन्य हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना 31 मार्च, 2010 तक लागू रही। 2009-10 में सोलर फोटो वोलटाइक इंडस्ट्री के 13 आवेदकों को भेजे गए नोटिस के जवाब में छह आवेदकों ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के लिए फाइनेंशियल क्लोजर की सूचना दी। इन छह आवेदकों के द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षों में कुल निवेश लगभग 41,000 करोड़ रुपये है।

रसायन एवं पेट्रोरसायन

पेट्रोलियम कैमिकल्स एवं पेट्रोकैमिकल निवेश क्षेत्र- पीसीपीआईआर नीति में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम-काकीनाड़ा राजामुन्दरी क्षेत्र), पश्चिम बंगाल (हल्दिया) और गुजरात (भरूच) में पीसीपीआईआर स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इन क्षेत्रों में करीब पांच लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश की संभावना है तथा 30 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की आशा है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात की राज्य सरकारों के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित किए गए हैं।

खनन

खनिजों और खानों के विकास और विनियमन के लिए एक कानून के जरिए खनन क्षेत्र में समग्र सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इस सुधार प्रक्रिया से स्थायी विकास और स्थानीय क्षेत्रीय विकास को सुधार प्रक्रिया में प्रमुखता मिल जाएगी। इससे पारदर्शिता आएगी, समानता सुनिश्चित होगी, काम में देरी और भेदभाव जैसे मसलों पर ध्यान देने का तंत्र विकसित होगा और साथ ही खनन क्षेत्र में खोज की उच्च प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक खनन कार्यों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

जहां कहीं व्यावहारिक है, यथामूल्य सिद्धांत को अपनाते हुए प्रमुख खनिजों के लिए एक नई रायल्टी प्रणाली लागू और अधिसूचित की गई है। प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों के साथ परामर्श के बाद नई दरें तय की गई हैं। इस संशोधन से राज्यों की सालाना रायल्टी करीब 2,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,500 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।

गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है । पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) के इस्तेमाल से सीमाओं के भूसंदर्भीकरण और सेटेलाइट

हथकरघे पर बने वस्त्र

इमेजरी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल की जा रही हैं और इनका इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है । रेल, सड़क और बंदरगाहों के रास्ते खनिजों के परिवहन के नियमन, इस्तेमालकर्ताओं का अनिवार्य पंजीकरण और संकटापन्न क्षेत्रों की स्थिर निगरानी सहित विभिन्न उपायों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है । भारतीय खनन ब्यूरो में गठित विशेष कार्यबल ने 106 खानों का निरीक्षण किया है और 60 मामलों में खनन कार्रवाई रोक दी है।

इस्पात

2009 के दौरान भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनकर उभरा है । कच्चे इस्पात उत्पादन की क्षमता 2008-09 में 663.6 लाख टन से बढ़कर 2009-10 में 727.6 लाख टन हो गई ।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने 2009-10 के पहले 9 महीनों के दौरान कर के बाद करीब 7,800 करोड़ रुपये का संयुक्त लाभ कमाया ।

इस्पात उद्योग में उत्पादकता, कार्यदक्षता और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए करीब 46 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न नूतन अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव तथा अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

वस्त्र

2008-09 के मुकाबले फाइबर के उत्पादन में 8.78 प्रतिशत और फैब्रिक के उत्पादन में 9.32 प्रतिशत वृद्धि हुई। कच्चे रेशम का उत्पादन 2008-09 में 18,370 मीट्रिक टन से बढ़कर 2009-10 में 19,575 मीट्रिक टन हो गया। इसी तरह रेशम क्षेत्र में 2008-09 में 63 लाख लोगों को रोजगार मिला, जबकि 2009-10 में रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़कर 65.8 लाख हो गई।

2,200 करोड़ रुपये की राशि से अगले पांच वर्षों में 31 लाख कामगारों को प्रशिक्षित करने के

महत्वाकांक्षी दक्षता विकास मिशन की घोषणा की गई है। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के तहत सब्सिडी के रूप में 2009-10 में 2,885 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसमें से 23,546 करोड़ रुपये 72 घंटे के रिकार्ड समय में 12,514 लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराए गए।

समेकित वस्त्र पार्क योजना के तहत 40 पार्कों को मंजूरी दी गई है। 2009-10 में पांच पार्कों में ढांचागत विकास का काम पूरा हो चुका है तथा 17 पार्कों में उत्पादन शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 17 मिलों का आधुनिकीकरण किया है, जिसमें से सात मिलों का उद्घाटन 2009-10 में किया गया।

2009-10 में तमिलनाडु में कोयम्बतूर और राजपलयम में दो कपास बिक्री डिपो और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केंद्र का उद्घाटन किया गया।

हथकरघा और हस्तशिल्प

पॉवरलूम, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर करने के लिए 2009-10 में भीलवाड़ा, मिर्जापुर-भदोही, श्रीनगर, विरुधनगर और मुर्शिदाबाद में पांच नए मेगा क्षेत्रों का विकास शुरू हुआ। पावरलूम, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण तथा इन क्षेत्रों के समग्र विकास और वृद्धि के लिए 2009-10 में हथकरघा में 52 और हस्तशिल्प में 122 नए क्षेत्रों के विकास का काम हाथ में लिया गया।

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के तहत 16.11 लाख बुनकरों और सहायक कामगारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई तथा 4.50 लाख बुनकरों और सहायक कामगारों को जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 8.02 लाख दस्तकारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।

ऋण गारंटी योजना के तहत 25,000 दस्तकार क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मानव संसाधन विकास और डिजाइन योजना एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के तहत कौशल विकास और उन्नयन के लिए 1,00,155 दस्तकारों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया है।

जूट

कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008-09 में 1250 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2009-10 में 1375 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई है जिसमें पश्चिम बंगाल में किन्नीसन और खरदाह तथा बिहार में राय बहादुर हदरुत राय मोतीलाल मिल को चालू करने पर बल दिया गया है।

जूट के विविध उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए जूट विविधीकृत उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की गई है।

6.2.7 वाणिज्य

वैश्विक वित्तीय संकट के कारण निर्यात में आई गिरावट को रोकने के लिए विदेश व्यापार नीति 2009-14 की घोषणा की गई। इस नीति के तहत किए गए उपायों में वित्तीय प्रोत्साहन, निर्यात बाजारों तक अधिक पहुंच और विविधीकरण बढ़ाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और लेन-देन की लागत की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए

निम्नलिखित रोजगारपरक क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है - (1.) कृषि एवं ग्रामोद्योग, (2.) हथकरघा, (3.) हस्तशिल्प, (4.) रत्न एवं आभूषण, (5.) चमड़ा और जूते (6.) समुद्री जीव क्षेत्र। इन उपायों के फलस्वरूप निर्यात में आई गिरावट पर लगाम लगी और नवम्बर 2009 से निर्यात वृद्धि में फिर से सकारात्मक रुख दिखाई देने लगा।

निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास

1- गैर पारंपरिक तथा अधिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार पहुंच प्रयास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई।

2- निर्यातकों को वैश्विक मंदी के दौरान भारी जोखिम से निपटने में मदद देने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) ने भारी जोखिम बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई तथा 2009-10 में 642 करोड़ रुपये की राशि के दावे भी निपटाए, जबकि 2008-09 में 450 करोड़ रुपये के दावे निपटाये गए थे।

3- वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर निर्यात क्षेत्र को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के तहत ईसीजीसी को 350 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

मुक्त व्यापार समझौते

पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक संबंध प्रगाढ़ करने तथा अपने निर्यातकों को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत ने 2009 में दो ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

1- भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के तहत सामान का व्यापार करने संबंधी अनुबंध।

2- भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी अनुबंध।

विश्व व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में मंत्री स्तरीय बैठक

भारत ने दोहा दौर की विश्व व्यापार वार्ताओं में आए गतिरोध को दूर करने की दिशा में प्रयास किए। इस सिलसिले में डब्ल्यू टी ओ के 30 सदस्य देशों की मंत्री स्तरीय अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। 3 से 4 सितबंर 2009 को दिल्ली में आयोजित यह मंत्री स्तरीय बैठक जुलाई 2008 के बाद इस सिलसिले में होने वाली पहली बैठक थी। इसमें लगभग सभी विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने भाग लिया और वार्ता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता के पक्ष में सर्वसम्मत राय प्रकट की।

बुनियादी ढांचा

1- निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए ए.एस.आई.डी.ई योजना के जरिये सहायता दी गई।

2- त्रिपुरा में बोधजंग नगर में बांस पार्क बनाने की मंजूरी दी गई।

3- मेघालय में दालू और घासूपारा में लैंड कस्टम सिस्टम के विकास को मंजूरी दी गई।

4- जम्मू-कश्मीर में सलमबाद और चकां-दा-बाह में व्यापार सुविधा केंद्र को मंजूरी दी गई।

6.2.8 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी)का उद्देश्य छह राज्यों में चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेश बढ़ाने और स्थायी विकास करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी माहौल के साथ

ठोस आर्थिक आधार तैयार करने के लिए समर्पित माल गलियारा परियोजना के तहत बुनियादी ढांचा बनाना है।

परिप्रेक्ष्य और विकास योजना तैयार करने के लिए सभी छह डीएमआईसी राज्यों के साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए है। डीएमआईसी के पूरे क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य योजना पूरी हो गई है तथा अलग-अलग परियोजनाओं के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। आई.आई.एफ.सी.एल और जे.बी.आई.सी के बीच 750 लाख अमरीकी डॉलर के ऋण के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम ने भी 'स्मार्ट कम्युनिटी एंड इकोफ्रेंडली टाउनशिप योजना' के विकास के लिए जैटरो कंपनी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए है।

6.3 ऊर्जा

6.3.1 कोयला

2008-09 में 492.94 मीट्रिक टन की तुलना में 2009-10 के दौरान 531.69 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ, जो 7.86 प्रतिशत अधिक है ।

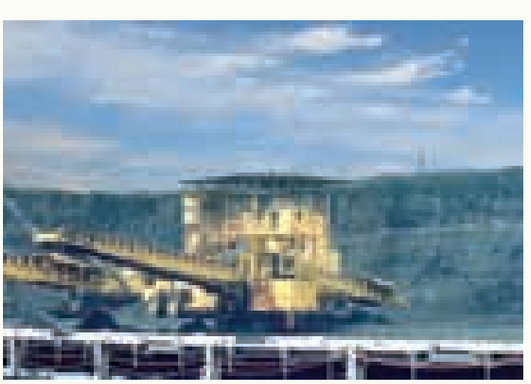

आधुनिक ओपन कास्ट कोयला खान

भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के पट्टे के अंतर्गत क्रमशः झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में परिवर्तन, आग, सब्सीडेंस, पुनर्वास जैसे मुद्दों के बारे में अगस्त, 2009 में मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया, जिस पर 9,773.84 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

खान बंद करने के बारे में दिशा-निर्देश अगस्त, 2009 में जारी किए गए ताकि व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल ढंग से खनन बहिष्कृत क्षेत्रों के पुनर्वास को सुगम बनाया जा सके ।

भूमिगत कोल गैसीफिकेशन के व्यावसायिक उत्खनन के लिए जुलाई, 2009 में दिशा-निर्देश जारी किए गए । भावी उद्यमियों के लिए 5 इग्नाईट ब्लॉक और 2 कोयला ब्लॉक की पहचान की गई ।

कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली तथा चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सार्थक बनाने के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया जा रहा है ।

ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी कोयला परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण को प्रोत्साहन दिया गया । कोल इंडिया लिमिटेड ने विशेष भागीदारी के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की हैं । इसे उत्खनन और विकास के लिए मेजाम्बिक में करीब एक अरब टन के कोयला भंडार वाले दो ब्लॉक आवंटित किए गए हैं ।

6.3.2 बिजली

2009-10 में 9,585 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता चालू की गई है। पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत 6,242.26 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी

दी गई है तथा वित्त वर्ष 2009-10 में राज्य बिजली संयंत्रों को 1,331.46 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

सरकार ने मौजूदा मेगा बिजली नीति के कुछ प्रावधानों की समीक्षा की है तथा उन्हें 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति और 2006 की शुल्क नीति के अनुरूप बनाया है।

कोयला चालित इकाइयों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली क्षेत्र में कम कार्बन पैदा करने की नीति पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सुपर क्रिटिकल इकाइयां लगाने को प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल 660/800 मेगावाट की 40 सुपर क्रिटिकल इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

सुपर क्रिटिकल बायलरों और टर्बाइन जनरेटरों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं को आकर्षित करने के प्रयास भी किए गए हैं। सुपर क्रिटिकल उपकरणों के स्वदेशी निर्माताओं के लिए प्रारंभिक ऑर्डर सुगम बनाने के लिए सरकार ने देश में चरणबद्ध निर्माण संयत्र की स्थापना की अनिवार्य शर्त के साथ पांच सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं की 11 इकाइयों के लिए बायलरों और टर्बाइन जनरेटरों के वास्ते निविदाएं आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

6.3.3 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

विदेशों में तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण तथा तेलशोधन क्षमता बढ़ाने के साथ घरेलू तेल एवं गैस भंडारों में त्वरित खोज के जरिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है ।

वर्तमान वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में 80 प्रतिशत वृद्धि देखी गई ।

बिजली, उर्वरक, इस्पात, एलपीजी, सिटी गैस, रिफाइनरी जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों

मुंबई हाई में ओएनजीसी ऑफशोर प्लेटफार्म

को अतिरिक्त गैस आवंटित की गई है ।

2009-10 के दौरान कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन पिछले साल की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़ गया।

बाड़मेर, राजस्थान से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो गया ।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड सात देशों अर्थात सूडान, वियतनाम, वेनेजुवेला, रूस, सीरिया, ब्राज़ील और कोलम्बिया में तेल एवं गैस उत्पादन कर रही है।

देश न केवल अपनी घरेलू खपत के लिए रिफाइनरी क्षमता में आत्मनिर्भर है बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है ।

2009-10 में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में घट-बढ़ बनी रही तथा भारत का कच्चे तेल का खर्च 47 और 81 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहा । लेकिन यूपीए सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं को उसके प्रभाव से बचाए रखने में सफल रही।

छोटे आकार की एलपीजी वितरक एजेंसियों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना शुरू की गई । प्रारंभ में 8 राज्यों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राजस्थान,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह योजना शुरू की गई है, जहां एलपीजी बहुत कम सुगम है ।

एलएनजी आयात में वृद्धि से निपटने के लिए देश में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सृजित किया जा रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के दहेज़ एलएनजी टर्मिनल की क्षमता जुलाई, 2009 में पांच एमएमटीपीए से बढ़ाकर 10 एमएमटीपीए कर दी गई । 5 एमएमटीपीए क्षमता वाला दाभोल एलएनजी टर्मिनल शीघ्र चालू होने की संभावना है ।

राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र

6.3.4 परमाणु ऊर्जा

राजस्थान परमाणु बिजली घर की पांचवें और छठी यूनिट चालू होने के साथ ही काम कर रहे रिएक्टरों की संख्या 19 और परमाणु बिजली की कुल स्थापित क्षमता 4,560 एमडब्लूई हो गई है। 4 अन्य रिएक्टर निर्माण के विविध चरणों में हैं तथा इनके पूरा होने पर 2011 तक कुल स्थापित क्षमता 7,280 एमडब्लूई हो जाएगी।

6.3.5 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सरकार ने नवम्बर, 2009 में पवन ऊर्जा का विकास करने वालों के लिए नई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की, जिसके तहत स्वतंत्र पवन ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगमन होगा और प्रौद्योगिकी के उन्नयन को सुगम बनाने तथा बेहतर प्रचालन प्रक्रियाएं और बेहतर प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बन सकेगा।

6.4 परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा

6.4.1 सड़कें - विस्तार की ओर

यूपीए सरकार ने हर वर्ष 7,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो बीस किलोमीटर प्रति दिन बैठता है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए परियोजनाएं आवंटित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जा रहा है। 2009-2010 में 3,360 किलोमीटर के लिए 38 परियोजनाएं आवंटित की गई। 1,568 किलोमीटर की 21 परियोजनाओं के लिए बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है तथा 1,991 किलोमीटर की 20 अन्य परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के मामले में 2009-10 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत 92,801 करोड़ रुपये के निवेश से 13,731 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में 1,507 किलोमीटर से अधिक के औसत से 2,693 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे किये गए। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में गति आ रही है तथा फरवरी, 2010 में यह 12 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है।

यूपीए सरकार ने योग्यता के लिए निवेदन, प्रस्ताव के लिए निवेदन तथा मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट जैसे मानक निविदा दस्तावेज तथा परियोजनाएं जारी करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 117 विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों के सृजन सहित भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं को दूर करने के लिए बहु-आयामी प्रयास किये गये हैं। दस क्षेत्रीय कार्यालयों के सृजन के साथ उनके विकेन्द्रीकरण सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पुनर्संरचना की दिशा में भी कई कदम उठाये गये हैं।

वडोदरा-मुंबई, बंगलुरू-चेन्नई, कोलकाता-धनबाद और दिल्ली-मेरठ नामक चार नए एक्सप्रेस-वे के लिए व्यावहारिकता अध्ययन अंतिम चरण में है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास की विशेष परियोजना के तहत 2009-10 में 2,551 करोड़ रुपये की राशि से 2,287 किलोमीटर सड़कों के विकास की परियोजनाएं मंजूर की गईं तथा 147 किलोमीटर सड़कों के कार्य आवंटित कर दिए गए।

सभी एकल/इंटरमीडियट लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को कम-से-कम दो लेन के मानक राजमार्गों में बदलने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। लगभग 12,200 किलोमीटर के ऐसे राजमार्ग जो एनएचडीपी के अंतर्गत नहीं आते उनका निर्माण इस उद्देश्य से चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है।

कालीकट में आधुनिक हवाई अड्डा

6.4.2 नागरिक उड्डयन

विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2009-10 में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,650 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 35 गैर-महानगरों में अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, तिरूवंनतपुरम, लखनऊ, गोवा, मदुरई, मंगलौर, अगत्ती, औरंगाबाद, खजुराहो, सूरत, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, नागपुर, विशाखापत्तनम, त्रिची, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, पटना, पोर्टब्लेयर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, इम्फाल, रांची, रायपुर, आगरा, चंडीगढ़, दीमापुर, जम्मू और पुणे में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करा रहा है। आगरा, अगरतला, अमृतसर, देहरादून, जयपुर, मंगलौर, नागपुर और विशापत्तनम हवाई अड्डों का काम 2009-10 में पूरा हो गया और ये चालू हो गए हैं।

दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डे

दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस तरह से तैयार किया जा रहा है, जिससे यह 2036 तक प्रति वर्ष 10 करोड़ यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। यह काम शीघ्र पूरा होने जा रहा है और हवाई अड्डा राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए समय पर पूरी तरह चालू हो जाएगा।

9,802 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छत्रपति शिवाजी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास का काम 31 दिसंबर 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 2009-10 की पहली छमाही में प्रमुख विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जिनमें नए घरेलू टर्मिनल में साउथ वेस्ट पीयर, समेकित प्रोसेसर टर्मिनल, बैगेज

हैंडलिंग सिस्टम तथा नए घरेलू टर्मिनल में छह पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज शामिल हैं। नया टर्मिनल 1-सी 17 अप्रैल 2010 को औपचारिक रूप से शुरू हो गया है।

एयर इंडिया को बनाए रखने में मदद करना

भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड (एन.ए.सी.आई.एल) को पुनर्गठित किया जा रहा है। एन.ए.सी.आई.एल में इक्विटी के रूप में 2,000 करोड़ रुपये की राशि लगाने का निर्णय ले लिया गया है, जिसमें से 800 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। एन.ए.सी.आई.एल के सुगम संचालन के लिए पहली बार प्रोफेशनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

वायु सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन

अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा नागरिक विमानन क्षेत्र में आधुनिक विकास से कदम ताल मिलाने के लिए एयर क्राफ्ट रूल्स 1937 और एयर क्राफ्ट (खतरनाक सामान ढोना) रूल 2003 में सात संशोधन किए गए हैं।

विदेशों के साथ वायु सेवा समझौतों में संशोधन

2009 में कतर, फ्रांस, नीदरलैंड, नेपाल, पुर्तगाल, कीनिया, अजरबेजान, भूटान और चेक गणराज्य जैसे अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय वायु सेवा परामर्श किए गए तथा वायु सेवा समझौतों में तदनुसार संशोधन किए गए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन संरचनाओं के अनुसार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है।

6.4.3 बंदरगाह

2009-10 में 2,653 करोड़ रुपये के निजी निवेश से 13 बंदरगाहों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

चेन्नई बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल

परियोजनाएं लागू की गई हैं तथा उन्हें 65.65 एम.टी.पी.ए. की क्षमता प्रदान की गई है।

कोच्चि बंदरगाह पर अंतराष्ट्रीय कन्टेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

चेन्नई बंदरगाह पर 9.6 एम.टी.पी.ए. क्षमता वाले दूसरे कन्टेनर टर्मिनल को चालू कर दिया गया है।

वल्लापदम कन्टेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल तक आई.डब्ल्यू.टी.संपर्कता उपलब्ध कराने तथा केरल में एन.डब्ल्यू.-3 पर मौजूदा आई.डब्ल्यू.टी टर्मिनल से कन्टेनरों का संचालन सुगम बनाने के लिए कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से बोलघट्टी और वेलिंगटन आईलैंड पर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट (आई.डब्ल्यू.टी) टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है।

6.4.4 रेल

भारतीय रेल अब एक नई दृष्टि और नवीकृत जोश के साथ आगे बढ़ने को तत्पर है। हाल ही में तैयार किए गए विज़न दस्तावेज में भारतीय रेल ने तीव्र विस्तार और नेटवर्क एवं सेवाओं के आधुनिकीकरण, क्षमता संवर्द्धन तथा कम लागत पर आपूर्ति और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ 10 प्रतिशत वार्षिक की उच्च वृद्धि दर हासिल करने की योजना बनाई है। इसमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने, समावेश को तेज करने तथा पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ विकास तथा लोगों के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने के इरादे पर जोर दिया गया है।

वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद 2009-10 में माल ढुलाई में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बिना रुके सीधे गंतव्य तक पहुंचाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस

2009 में 646 किलोमीटर से बढ़कर इसका दायरा 2009-10 में 658 किलोमीटर हो गया।

देश भर के चुनिंदा शहरों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना रुके रेल सेवाएं शुरू करने के लिए वातानुकूलित तथा अवातानुकूलित शयनयान सेवा के साथ दूरंतो नाम की नई रेल सेवा शुरू की गई । इसके अतिरिक्त महिलाओं की यात्रा दशाओं को सुधारने के लिए मातृभूमि रेलगाड़ी नामक विशेष महिला रेलगाड़ियां बड़े शहरों में शुरू की गईं। सबसे अधिक गरीब को रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए नई योजना 'इज्जत' शुरू की गई, जो असंगठित क्षेत्र के सदस्यों को 100 किलोमीटर तक सिर्फ 25 रुपये के मासिक सीजन टिकट पर एक समान कीमत पर रेल यात्रा उपलब्ध कराती है ।

आदर्श स्टेशनों के रूप में 378 स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां भारतीय रेल पेयजल, पर्याप्त शौचालय, खानपान सेवाएं, प्रतीक्षालय, नामपट्टियां तथा अन्य बुनियादी यात्री सुविधाएं उन्नत की जाएंगी।

जनकल्याण इसकी प्राथमिकता रही है। इस वर्ष के दौरान यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

जल्दी नष्ट होने वाले माल के लिए 6 शहरों में कार्गो केन्द्र स्थापित करने की पहचान की गई है, जिनमें शीत भंडार एवं कृषि रिटेल आउटलेट के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐसा एक केन्द्र सिंगुर में शुरू होने वाला है। भारतीय रेल ने दूध एवं दुग्ध उत्पादों को लाने-ले जाने के लिए एक विशेष रेलगाड़ी भी शुरू की है, जो पालनपुर और कानपुर के बीच चलती है।

दो समर्पित माल गलियारों के निर्माण का कार्य जारी है।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नई कोच निर्माण फैक्टरी की स्थापना का कार्य पूरे जोरों से जारी है। पश्चिमी बंगाल में कांचरापाड़ा में मेनलाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और डीज़ल इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के निर्माण के लिए एक फैक्टरी की अनुमति दी गई है। संयुक्त उपक्रम के जरिए डीजल लोकोमोटिव फैक्टरी और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्टरी स्थापित की जा रही है। इसमें चुनिंदा तकनीकी भागीदारों के साथ ये फैक्टरी क्रमशः मारहोउरा और मधेपुरा में बनाई जा रही हैं।

आर्थिक पुनरुत्थान

चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-45

पर्यावरण संरक्षण

"इस दूरदर्शी कदम से वर्तमान और भावी पीढ़ियों को फायदा होगा, संसद भी इस समय इस कानून पर बहस कर रही है जिससे हमारे नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार मिलेगा।"

– श्रीमती सोनिया गांधी

जम्मू-कश्मीर के गुरेज़ में घरों में सौर प्रकाश

पर्यावरण संरक्षण

7 पर्यावरण संरक्षण

7.1 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

यूपीए सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। इस योजना के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया। मिशन के तहत मार्च, 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड सौर बिजली, 2,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोग तथा दो करोड़ वर्ग मीटर सौर थर्मल कलेक्टर्स की क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका एक उद्देश्य सौर पैनलों की लागत कम करना है ताकि ग्रिड तुल्यता मिशन अवधि की समाप्ति तक पहुंच सके। मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भी तेजी लाई जाएगी। पहले चरण की गतिविधियों से स्वदेशी सौर निर्माण एवं प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी आने की संभावना है ।

जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद ने ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन-एन.एम.ई.ई.ई. को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एन.एम.ई.ई.इ. को कार्यरूप देने के लिए चार भागीदार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के जरिए 190 करोड़ रुपये के निवेश से संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) की

वन क्षेत्र का विस्तार

पर्यावरण संरक्षण

स्थापना की गई है। यह कंपनी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

परिषद ने राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संरक्षण मिशन तथा जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन के लिए मसौदा दस्तावेज को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों से भी जलवायु परिवर्तन के बारे में राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार करने का आग्रह किया गया है।

7.2 क्षतिपूर्ति वनीकरण

वानिकी के लिए केंद्रीय खाते में बिना इस्तेमाल के बची 900 करोड़ रुपये से अधिक राशि का अब इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगले पांच वर्षों तक इस केंद्रीय खाते से राज्य सरकारों को हर साल 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

7.3 ग्रीन ट्राइब्यूनल

पर्यावरण संरक्षण, वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकारों को लागू करने और व्यक्तियों तथा संपदा को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधी मसलों को प्रभावी ढंग से तथा तेजी से निपटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल विधेयक 2009 पारित हो गया है।

7.4 मिशन क्लीन गंगा

यूपीए सरकार गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नवगठित राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण की पहली बैठक में यह फैसला किया गया कि मिशन क्लीन गंगा के तहत 2020 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गंगा में अपरिष्कृत नगरीय जलमल और उद्योगों के उत्सर्जन को प्रवाहित न किया जाए। इसके लिए आवश्यक खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी। प्राधिकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा और आकलन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण की स्थायी समिति गठित की गई है। परियोजनाओं के तेजी से मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त स्थायी समिति भी गठित की गई है। अब तक लगभग 1,390 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक के साथ दीर्घावधि सहायता के लिए चर्चा शुरू की गई है तथा विश्व बैंक से परियोजना तैयार करने की सुविधा की मंजूरी ली गई है।

नए क्षितिज

"भारतीय विज्ञान को नौकरशाही और पक्षपात की बेड़ियों और जकड़न से मुक्त करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की छिपी हुई महान प्रतिभा और सृजनात्मक ऊर्जा से लाभ उठा सकते हैं।"

– डॉ. मनमोहन सिंह

23 सितम्बर 2009 को पीएसएलवी-सी 14 का प्रक्षेपण

8 नए क्षितिज

8.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

8.1.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार संरचना को मजबूत बनाना

जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न वैज्ञानिक मसलों से निपटने तथा अंततः स्वास्थ्य, कृषि और पानी जैसे क्षेत्रों के लिए जलवायु सेवाएं विकसित करने के लिए पुणे में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए समर्पित केन्द्र स्थापित किया गया है ।

तीसरा स्थायी अंटार्कटिक स्टेशन स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है ।

जीवन विज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी में अनुसंधान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं उत्पाद विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पांच नई संस्थाएं बनाई गई हैं-

1- ट्रांसनेशनल हैल्थ सांइंस एंड टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद

2- यूनेस्को के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद

3- राष्ट्रीय जैव चिकित्सीय जीनोमिक्स संस्थान, कोलकाता

4- स्टेम सेल जीवविज्ञान एवं नवीनीकृत औषधि संस्थान, बंगलौर

5- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान एवं जैव प्रसंस्करण इकाई मोहाली, पंजाब

जैव उद्योग संबंधी प्रशिक्षण एवं बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करने तथा व्यावहारिक एवं उत्पाद केंद्रित अनुसंधान के लिए पहली बार निम्नलिखित तीन नए बॉयो क्लस्टर तैयार किए गए हैं जहां काम शुरू हो गया है- (1) बंगलौर बॉयो क्लस्टर (2) हैल्थ बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद (3) कृषि खाद्य बॉयोटेक क्लस्टर, मोहाली, पंजाब

भारत आठ तरह के कैंसर के लिए व्यापक एवं जीनोमिक परिवर्तनों के हाई रिजोलुशन विश्लेषण के लिए इंटरनेशनल कैंसर जीनोम कंसोर्टियम में भागीदार बन गया है।

अनुसंधान कर्ताओं को पहली बार वैज्ञानिक उपक्रमों में इक्विटी हिस्सेदारी तथा अपने संगठनों में कार्य करते हुए स्पिन ऑफ की अनुमति दी गई है। इस नीति से भारतीय वैज्ञानिक अपने आविष्कारों का व्यवसायिक लाभ उठाने और पैटेंट कराने में सक्षम हो सकेंगे।

8.1. 2 विज्ञान के लाभ लोगों को उपलब्ध कराना

500 मौसम वैज्ञानिक जिलों में किसानों को वर्षा, अधिकृत एवं न्यूनतम तापमान, बादल छाये रहने, आर्द्रता इत्यादि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सप्ताह में दो बार जिला स्तरीय कृषि मौसम परामर्श सेवाओं का विस्तार किया गया है ।

रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समुद्र की अवस्था संबंधी पूर्वानुमान के साथ संभावित फिशिंग जोन की पहचान पर आधारित एकीकृत मत्स्य परामर्श संबंधी विशिष्ट प्रणाली प्रचालित की गई है। स्थानीय भाषा में संभावित फिशिंग जोन संबंधी सलाह तैयार करवाकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड, सूचना कियोस्क, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, ई-मेल और वेबसाइटों के जरिए सप्ताह में तीन बार सूचना का प्रसार किया जाता है ।

2009-10 में नए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम के तहत 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और 11 परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया गया।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के सहयोग से तपेदिक के इलाज के लिए 'रिजोरिन' नाम की नई उपचार विधि विकसित की है, जिसे आयुर्वेद से प्राप्त किया गया है।

नए क्षितिज

सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने एक भारतीय व्यक्ति के संपूर्ण जीनोम का अनुक्रम निर्धारित करने तथा उसको जोड़ने में सफलता प्राप्त की है।

सीएसआईआर ने आयुष के सहयोग से पारंपरिक ज्ञान डिजिटल संग्रहालय (टी.के.डी.एल) की स्थापना की है। टीकेडीएल में आयुर्वेद यूनानी और सिद्ध पद्धत्तियों के बारे में लगभग 2 लाख दवाओं के बारे में जानकारी पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। 2009 में यूरोपीय पेटेंट ऑफिस (34 सदस्य राष्ट्र) और अमरीकी पेटेंट एवं ट्रेड मार्क कार्यालय के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के समझौते किए गए।

सीएसआईआर ने 'सोलेक्शॉ' नामक पर्यावरण अनुकूल ड्यूअल पावर रिक्शा का विकास किया है। यह पैडल और सौर ऊर्जा दोनों से चलाई जाती है। ऊर्जा की आपूर्ति बैटरी के जरिए की जाती है और यह बैटरी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। व्यावसायिक उत्पादन के लिए यह प्रौद्योगिकी अनेक उद्योगों को हस्तांतरित की गई है।

मुक्त स्रोत औषधि खोज कार्यक्रम के तहत सीएसआईआर ने 11 अप्रैल, 2010 को देश के हजारों युवा विद्यार्थियों के सहयोग से माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का विस्तृत मापन शुरू करने की घोषणा की है, जो अपनी तरह का पहला कार्य है। इससे तपेदिक के कीटाणुओं का मुकाबला करने के लिए अधिक प्रभावी औषधि विकसित करने में मदद मिलेगी। हर वर्ष 17 लाख लोग तपेदिक का शिकार होते हैं।

8.1.3 अनुसंधान वित्त पोषण को नया रूप

अनुसंधान एवं विकास वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जैव चिकित्सीय अनुसंधान वैज्ञानिकों को छात्रवृत्ति देने के लिए हैदराबाद में वैलकम ट्रस्ट-डी.बी.टी. इंडिया एलांइस की स्थापना की गई है। अब तक विदेशों के 30 वैज्ञानिकों को इस योजना के तहत चुना जा चुका है।

8.2 अंतरिक्ष कार्यक्रम

भारत ने वर्ष के दौरान अंतरिक्ष कार्यक्रम में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। चांद पर भारत के मानवरहित मिशन चंद्रयान-1 के जरिए चांद की सतह पर पानी, बर्फ और हाईड्रोक्सिल अणुओं का पता लगाया गया।

पी.एस.एल.वी. सी-12 के जरिए 20 अप्रैल 2009 को आर.आई.एस.ए.टी.-2 तथा ए.एन.यू.एस.ए.टी. के सफल प्रक्षेपण तथा 23 सितंबर 2009 को पी.एस.एल.वी. सी-14 के जरिए अंतराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए छह लघु उपग्रहों के साथ ओशनसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण पिछले एक साल की प्रमुख उपलब्धियां रहीं। एन.एन.यू.एस.ए.टी. का निर्माण चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने किया। यह इसरो के पूर्ण मार्ग निर्देशन में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह है। लार्ज सोलिड स्टेज मोटर एस-200 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलिड बूस्टर है, जिसका सफल परीक्षण 24 जनवरी 2010 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। (एस-200 जिओसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल मार्क-3-जी.एस.एल.वी-एम.के-3 में इस्तेमाल किया जाता है) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 3 मार्च, 2010 को नई पीढ़ी के हाई परफोर्मेस साउंडिंग रॉकेट (ए.टी.वी-डी 01) का सफल फ्लाइट परीक्षण किया गया। इससे एयर ब्रीदिंग प्रणोदन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के परीक्षण का नया केन्द्र उपलब्ध हो गया है।

8.3 सूचना एवं प्रसारण

केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हेड एंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

दूरदर्शन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 10 चैनलों के साथ डीटीएच सेवाएं शुरू कीं। भारतीय सिनेमा की समृद्ध विरासत और इतिहास को

दर्शाने के लिए करीब 116 करोड़ रुपये की लागत से मुम्बई में भारतीय फिल्म संग्रहालय स्थापित करने का फैसला किया गया है।

वृत्तचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुगम कराने के लिए नई योजना शुरू की गई है।

8.4 पर्यटन

पांच देशों सिंगापुर, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग और जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए आगमन पर वीज़ा की योजना शुरू की गई है।

हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित ठोस प्रयास किए गए हैं-जोरहट, गोवा और इंदौर में तीन नए होटल प्रबंधन संस्थानों को मंजूरी दी गई है। 17 संस्थानों में हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन संबंधी नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। 'हुनर से रोजगार तक' योजना के तहत खान-पान सेवाओं तथा खाद्य उत्पादन में 5,660 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। 5,338 मौजूदा सेवा प्रदाताओं के कौशलों का परीक्षण किया गया तथा उन्हें बाजार में अधिक रोजगार देने योग्य बनाने के लिए प्रमाणित किया गया।

8.5 संस्कृति

पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणपूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक संवाद के अवसर पर नई दिल्ली में लोक नर्तक

भारत की अमूल्य धरोहर तथा पुरातत्व महत्व के स्थलों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र सरकार ने हाल ही में प्राचीन स्मारकों एवं पुरातत्व स्थल एवं खंडहर कानून में संशोधन किया है, जिसमें प्रतिबंधित क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सब तरह के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इन सभी संरक्षित स्मारकों के लिए धरोहर संबंधी उपनियम तैयार किए जाएं ताकि प्रतिबंधित क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे से अलग अगले 200 मीटर के नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। इस कानून को लागू करने की निगरानी के लिए प्रमुख निकाय के रूप में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को समुचित रूप से लागू किया जाएगा ताकि भारत की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत को अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके।

एक नीतिगत फैसला किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक संस्थाओं को पेशेवर आधार पर चलाने का निर्देश है।

पिछले वर्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने ब्रज भूमि महोत्सव, प्रकृति बाजार, सुरभि थिएटर महोत्सव, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक संवाद, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ का सम्मेलन, वसंत बाजार, घराना महोत्सव और वूमैन ऑन रिकॉर्ड-ए म्यूजिकल इवेंट जैसे आठ प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन आयोजनों में लगभग सात से आठ लाख लोगों ने भाग लिया।

नए क्षितिज

अहमदाबाद और करमसाढ़ में सरदार पटेल स्मारकों के उन्नयन के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।

शहीद भगत सिंह के पैतृक स्थल खटकड कलां में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थापित करने की परियोजना के लिए 16.80 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। गुरुग्रंथ साहिब की गुरु-ता-गद्दी के 300 साला समारोह के समापन चरण के रूप में तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब के विकास के लिए पंजाब सरकार को 46.38 करोड़ रुपये जारी किए गए है।

8.6 राष्ट्रमंडल खेल

देश में अक्तूबर 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल भारत को महत्वपूर्ण खेल-राष्ट्र के रूप में उभारने तथा इस तरह की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने की क्षमता दर्शाने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेंगे। यूपीए सरकार ने 678 करोड़ रुपये के बजट से राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी के लिए योजना को मंजूरी दी है, जो कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के जरिए खेलों के सफल आयोजन के लिए लगभग 11,494 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।

खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के अलावा राष्ट्रमंडल देशों की जनता के बीच करीबी संबंधों को प्रोत्साहन देने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह महा-आयोजन राष्ट्र को अत्याधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल संबंधी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। इससे दिल्ली के बुनियादी ढांचे का भी अभूतपूर्व विकास होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के 25,000 से अधिक स्वयं सेवक, खिलाड़ियों, दर्शकों और पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

8.7 राष्ट्रीय युवा कोर

राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासित एवं समर्पित युवाओं के समूह के साथ राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) की स्थापना की गई है । एनवाईसी के तहत 20,000 स्वयंसेवक नामांकित किए जाएंगे, जिनमें से 8,000 जम्मू-कश्मीर में तथा 12,000 अन्य राज्य में होंगे ।

8.8 इंडिया पोस्ट

राष्ट्रीय ग्रामीण सूक्ष्म बीमा अभियान 7दिसंबर, 2009 को शुरू किया गया, जिसमें कम प्रीमियम पर छोटी-छोटी बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है। 10,000 से 25,000 रुपये तक के बीमा राशि वाली पॉलिसियां करीब एक रुपया प्रतिदिन के प्रीमियम से शुरू होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के लोगों तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के लाभार्थियों को बेची जा रही हैं। मार्च 2010 तक 50 लाख से अधिक सूक्ष्म बीमा पॉलिसियां ली जा चुकी हैं।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम - राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी

आपदा प्रबंधन

"दो हज़ार चार के दिसंबर में आपने सुनामी का भयंकर संकट झेला था । लेकिन हमें याद है, कि आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश लगातार करते रहे। हमारी सरकार.... आपकी इस कोशिश में कदम-कदम पर आपके साथ रही और आज भी है।"

– श्रीमती सोनिया गांधी

बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव कार्य

आपदा प्रबंधन

9 आपदा प्रबंधन

9.1 राष्ट्रीय आपदा नीति और आपदा संबंधी दिशा-निर्देश

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति का 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चट्टानें खिसकने एवं हिमस्खलन के प्रबंधन, रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन और आपदाओं के समय मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

9.2 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

2009-10 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ने चक्रवात, चक्रवाती तूफान, बाढ़, भूस्खलन इत्यादि से प्रभावित विभिन्न राज्यों में राहत और बचाव कार्य करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस बल के त्वरित और दक्ष बाढ़ राहत कार्यों के कारण 21,000 से अधिक लोगों को बचाया जा सका।

9.3 बाढ़ राहत

2009-10 में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के समय और मॉनसून के बाद के मौसम में बीस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने इत्यादि के कारण विभिन्न स्तरों पर तबाही हुई। भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों को तत्काल और समय पर सहायता उपलब्ध

तमिलनाडु में चक्रवात पीड़ितों के लिए आश्रय-स्थल

कराई। 2009-10 में राज्यों को विभिन्न प्राकृतिक बाधाओं से निपटने के लिए आपदा राहत कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में 3,791.86 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा 2009-10 में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से विभिन्न राज्यों को 3,261.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

9.4 चक्रवात पीड़ितों के लिए आश्रय-स्थल

पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात के कारण हुई तबाही के बाद प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना तथा पूर्वी मेदिनीपुर जैसे तटीय जिलों में 200 चक्रवात पीड़ितों के लिए आश्रय के निर्माण की मंजूरी दी, जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा केरल के कोझीकोड में दो, कन्नूर जिले में एक तथा लक्षद्वीप में तीन आश्रय स्थलों सहित कुल छह आश्रय स्थलों के निर्माण की प्रायोगिक परियोजना के लिए 8.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

विशेष विकास जरूरतों पर ध्यान

"कुछ हद तक बुनियादी ढांचे की कमी और कमजोर संचार व्यवस्था कुछ भागों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार रही हैं। अब इस ओर अधिक गंभीरता के साथ तथा ज्यादा व्यवस्थित ढंग से ध्यान दिया जा रहा है।"

— श्रीमती सोनिया गांधी

जम्मू-कश्मीर में रेल सेवा

विशेष विकास जरूरतों पर ध्यान

10. विशेष विकास जरूरतों पर ध्यान - पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और बुंदेलखंड

10.1 पूर्वोत्तर

10.1.1 शांति व्यवस्था

गुप्तचर सूचनाएं एकत्र करने और उनके विश्लेषण तथा प्रसार के लिए शिलांग में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है। इसने 23 फरवरी, 2010 से काम शुरू कर दिया है। अनेक उग्रवादी समूहों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है तथा वे अपनी मांगों के बारे में सरकार के साथ चर्चा करने को तैयार हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि को असम और मेघालय के कुछ उग्रवादी समूहों के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त किया गया है।

10.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढांचागत विकास

सड़कें - ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग सहित

यूपीए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है तथा कुल आवंटन की 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। 2009-10 में अब तक करीब 596 किलोमीटर लम्बी सड़कें पूरी की जा चुकी हैं।

अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2319 किलोमीटर लंबी सड़कों और राजमार्गों का विकस होना है। 776 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए चार परियोजनाओं की बोली प्राप्त हो गई हैं तथा यह कार्य शीघ्र ही आवंटित कर दिया। ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग इस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रेल

पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी शहरों को रेल से जोड़ा जा रहा है। गुवाहाटी और अगरतला को रेल से जोड़ दिया गया है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणांचल प्रदेश की राजधानियों को रेल से जोड़ने की परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर

डिब्रूगढ़ में नया हवाई अड्डा

विशेष विकास जरूरतों पर ध्यान

बोगीबील में रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण शुरू किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराएगा। लम्डिंग-सिल्चर-जीरिबम, बदरपुर-कुमारघाट और रांगिया-मुरकोंगसेलेक के मीटर गेज रूट को प्राथमिकता के आधार पर ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य किया जा रहा है।

विमान सम्पर्कता - बुनियादी ढांचा और सेवाएं

तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक सिक्किम के पक्योंग में है और 264 करोड़ रुपये की लागत से इसका कार्य निर्माणाधीन है।

तेजू हवाई अड्डे के विकास के लिए 2009-10 में 79.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह हवाई अड्डा मार्च 2012 तक चालू हो जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2010 तथा 2011 के लिए मैसर्स एलायंस एयर को 94.14 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग की गई है।

जलमार्ग

मिजोरम में तलांग नदी पर आईडब्ल्यूटी विकास की राज्य सरकार की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

बिजली

अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज का कार्यान्वयन 2009 में शुरू हुआ। इस परियोजना के तहत कुल 1,058 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से 512 गांव पहले ही सौर फोटो वोल्टिक प्रणाली के तहत शामिल किए जा चुके हैं । कुल 153 हाइडल परियोजनाओं के तहत 546 गांव लाए जाएंगे, जिनमें से 80 गांव पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और शेष में कार्य जारी है ।

आरजीजीवीवाई के तहत 2,129 गांवों के विद्युतीकरण, 1,756 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 40,810 कनेक्शन देने के लिए 16 परियोजनाओं के लिए 537.69 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 31 मार्च, 2010 तक, 215 गांवों का विद्युतीकरण, 134 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 967 कनेक्शन दिए गए।

10.1.3 विशेष जरूरतें पूरी करना

वर्ष के दौरान नॉन लेप्सेबल सेंट्रल पूल और रिसोर्सिस के तहत 834.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 97 ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में अरुणाचल सचिवालय इमारत का निर्माण, 15 डिग्री कॉलेजों में इमारतों का उन्नयन, त्रिपुरा में कृषि कॉलेज के लिए इमारत का निर्माण, असम में बरपाथर-बोकाजन-डाइथन-चौकीहोला सड़क का सुधार (31 किमी), मेघालय में रोंगखोन से आमपति तक डबल सर्किट लाइन का निर्माण और क्षेत्र में 22 स्थानों पर जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान 249.59 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाएं पूरी की गईं।

2009-10 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का कुल आवंटन 2008-09 के 14,753 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,351 करोड़ रुपये हो गया।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम ने 332.41 करोड़ रुपये की राशि के नए ऋण मंजूर किए। कुल 207.76 करोड़ रुपये वितरित किए गए। नई परियोजनाओं में

1,600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

10.1.4 असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट

असम गैस क्रैकर परियोजना से क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और रोजगार सृजन की संभावना है। परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियां पूरे जोरों से जारी हैं तथा 31 मार्च, 2010 तक 744 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना अप्रैल, 2012 में पूरी करने का लक्ष्य है।

10.1.5 युवाओं को जागरूक बनाना

निर्माणाधीन असम गैस क्रैकर परियोजना

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षमता निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण के भाग के रूप में कोहिमा में पहला पूर्वोत्तर युवा महोत्सव आयोजित किया गया। देशभर से करीब 13000 युवाओं ने तीन दिन के इस महोत्सव में भाग लिया।

10.2 जम्मू-कश्मीर

10.2.1 शांति व्यवस्था

आतंकवादी हिंसा के स्तर और सुरक्षा बलों, आम नागरिकों तथा आतंकवादियों में हताहतों की संख्या में काफी कमी हुई है। घुसपैठ रोकने के उपायों की सफलता से सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ कम करने में मदद मिली है, लेकिन फिर भी ऐसी घुसपैठ जारी रही। अलगाववादी समूहों द्वारा बाधा पहुंचाने के प्रयासों के बावजूद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन से शांति प्रक्रिया को बल मिला तथा राज्य में एक बार फिर चुनी हुई सरकार बनी।

10.2.2 ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करने तथा बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पुनर्निर्माण योजना एवं अन्य प्रयास

प्रधानमंत्री ने 17 से 18 नवंबर 2004 को राज्य की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर में 11 पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा की (जिनमें से तीन परियोजनाएं- उड़ी-1 (480 मेगावाट), सलाल-1 और 2 (690 मेगावाट) तथा दुलहस्ती (390 मेगावाट) पहले ही पूरी हो चुकी हैं और चालू हो गई हैं।) चार परियोजनाएं- सेवा-2-हाईड्रो इलैक्टिक पावर (एच.ई.पी.) (120 मेगावाट), निमू बाजगों एच.ई.पी. (45 मेगावाट), चुतक एच.ई.पी (44 मेगावाट) और उड़ी-2 (240 मेगावाट) के इस चालू वित्तीय वर्ष में पूरी होने की संभावना है। किशनगंगा एच.ई.पी (330 मेगावाट) के लिए निवेश की मंजूरी दे गई है और इसके 2016 में चालू होने की संभावना है। बुरसर एच.ई.पी. (1,020 मेगावाट) के लिए बिजली घर के निर्माण स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पकलदुल एच.इ.पी (1,000 मेगावाट) परियोजना के लिए नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी), जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर विकास निगम (जे.के.एस.पी.डी.सी) और पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (पी.टी.सी) का संयुक्त उपक्रम बनाया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 450 मेगावाट की राज्य सरकार की परियोजना बगलीहार एच.ई.पी चालू हो गई है।

विशेष विकास जरूरतों पर ध्यान

राज्य सरकारों को बिजली सुधार अनुदान की दोनों किश्तें जारी कर दी गई हैं।

सभी पांच लंबित जिलों बारामुला, पुलवामा, राजौरी, पुंछ और डोडा के लिए आर.जी.जी.वी.वाई. योजनाओं को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 27 नवंबर, 2009 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पूरे राज्य के लिए आर.जी.जी.वी.वाई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

कश्मीर घाटी में बड़गांव और काजीगुंड, काजीगुंड और बारामूला तथा बारामूला और बड़गांव के बीच छोटी दूरी की पांच डी.एम.यू रेलगाड़ियां (डीजल मल्टीपल यूनिट) चलाई गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों सहित 977 किलोमीटर सड़कों का करीब 2,628 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण किया जाना है, जिसमें से 31 मार्च 2010 तक 1,513 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

कैम्पों में रहने वाले विस्थापित परिवारों के लिए दो कमरों के मकानों के निर्माण का कार्य तेज कर दिया गया है। अखनूर तहसील के गरीब विस्थापितों के लिए पुनर्वास के पैकेज का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। 38 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे का उन्नयन कार्य पूरा हो गया है। जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान के निर्माण के काम में काफी प्रगति हुई है।

10.2.3 विस्थापितों और उग्रवाद से प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास

विस्थापितों को कश्मीर वापस लाने और उनके पुनर्वास के प्रधानमंत्री के पैकेज के बाद राज्य सरकार ने कश्मीर घाटी में विस्थापित परिवारों के कश्मीर घाटी में लौटने के लिए तीन स्थानों पर ट्रांजिट आवासों के निर्माण के लिए निविदाएं जारी कीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने विस्थापित युवकों की भर्ती के लिए 3,000 अतिरिक्त पदों का निर्माण किया, भर्ती नियम तैयार किए तथा आवेदनों के लिए विज्ञापन जारी किए। जम्मू और दिल्ली में पात्र विस्थापितों के लिए नकद राहत बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दी गई है, लेकिन ये राहत प्रति परिवार प्रति माह 5,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। आतंकवाद से मारे गए लोगों के अभिभावकों की पेंशन बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह रुपये कर दी गई है। 2009-10 में शिक्षा के लिए 1,444 अनाथ बच्चों को सहायता दी गई।

10.2.4 युवाओं को जागरूक करना

राष्ट्रीय युवा कोर नाम की एक नई योजना शुरू की गई है, जिसमें युवा लोग दो वर्ष तक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में काम कर सकेंगे। योजना के पहले चरण में डल झील की सफाई और रख-रखाव, साक्षर भारत प्रयास के तहत महिला साक्षरता, स्वास्थ्य एवं सफाई गतिविधियां, भीड़ एवं आपदा प्रबंधन और वैष्णों देवी तथा अमरनाथ गुफा तीर्थों में आने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्यटक स्वयंसेवक के रूप में काम करने के लिए राज्य में 8,000 स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।

10.3 बुंदेलखंड

यू.पी.ए सरकार ने विशेष बुंदेलखंड सूखा निवारण पैकेज के लिए 7,266 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसमें 3,506 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को और 3,760 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश को मिलेंगे। यह पैकेज 2009-10 से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। जारी केंद्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के संसाधनों के रूपांतरण के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए 1,596 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश के लिए 1,854 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है।

सुरक्षा

"हमारे सामने एक बहुत मुश्किल काम है लेकिन इसे हमें पूरे संकल्प और समन्वित कार्रवाई से पूरा करना होगा। हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम अपनी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को हल करते हुए राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें।"

– डॉ. मनमोहन सिंह

सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन

11 सुरक्षा

11.1 आंतरिक सुरक्षा के प्रयास

आंतरिक सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय और उपाय किए गए हैं। इनमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की ताकत बढ़ाना, संयुक्त उपक्रम औद्योगिक इकाइयों में बलों की तैनाती के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कानून में संशोधन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्रों की स्थापना, किसी आपात स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड-एनएसजी के कर्मियों को लाने-ले जाने के लिए एनएसजी के महानिदेशक को विमान प्राप्त करने का अधिकार देना, मल्टी एजेंसी केंद्र को मजबूत बनाना और पुनर्संगठित करना ताकि वह चौबीसों घंटे काम कर सके और अन्य गुप्तचर एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सके, आव्रजन नियंत्रण को सख्त बनाना, सीमा पर 24 घंटे निगरानी और गश्त के जरिये सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, निगरानी चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लड लाइट की व्यवस्था, आधुनिक और हाईटेक निगरानी उपकरणों की व्यवस्था, गुप्तचर एजेंसियों का उन्नयन तथा तटीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्य शुरू कर दिया है। आतंकवादी खतरे से निपटने के कदमों के रूप में राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र और राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रिड बनाने का भी प्रस्ताव है।

यूपीए सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास और जन धारणा जैसे क्षेत्रों में समेकित दृष्टिकोण अपनाया है। राज्यों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी विभिन्न मसलों से राज्य सरकारें निपटती हैं। केंद्र सरकार विभिन्न तरीकों से राज्य सरकारों की मदद करती है। इनमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और कमांडो बटालियनों की व्यवस्था, उग्रवाद और आतंकवाद रोधी स्कूलों की स्थापना, राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य पुलिस बलों और उनके गुप्तचर तंत्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत सुरक्षा संबंधी खर्चों की क्षतिपूर्ति, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचा योजना के तहत महत्वपूर्ण ढांचागत विषमताओं को दूर करना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्र में प्रशिक्षण

के माध्यम से राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता, गुप्तचर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, समुदाय पुलिस व्यवस्था एवं नागरिक कार्रवाई में सहायता तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के जरिए विकास कार्य में सहायता शामिल हैं।

2009-10 में राज्यों को 668.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जिसमें राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 578.61 करोड़ रुपये, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 60.00 करोड़ रुपये तथा विशेष ढांचागत योजना के तहत 30.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सभी राज्यों को 1,230.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

11.2 सीमा सुरक्षा

11.2.1 सीमाओं का बुनियादी ढांचा

2009-10 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 210 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई गई, 310 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया तथा 400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर फ्लड लाइट लगाई गई। सीमा पर 50 चौकियों का निर्माण भी शुरू हो गया है। भारत-चीन सीमा पर 35.89 किलोमीटर लंबी सीमा पर 11 सड़कों का बुनियादी कार्य और 11.2 किलोमीटर लंबी सीमा पर सतही कार्य पूरा हो गया है। भारत-पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात क्षेत्र में 15 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है।

11.2.2 सीमा पर बाड़ लगाना

भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2009-10 में 210

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़

किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा इस सीमा पर 400 किलोमीटर से अधिक लंबी पुरानी बाड़ को बदला गया। भारत-पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात में 19 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाई गई।

11.2.3 सीमा क्षेत्र विकास

2009-10 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को सड़कों, पुलों, स्कूल की इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, सांस्कृतिक केंद्रों, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और एक्सरे मशीनों जैसे उपकरण लेने तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई, वनीकरण और जल संरक्षण जैसे विकास तथा निर्माण कार्यों के लिए 635 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

11.2.4 भू-बंदरगाह

अटारी (भारत-पाकिस्तान सीमा) और रक्सौल (भारत-नेपाल सीमा), में सात एकीकृत चौकियां बनाने का काम हाथ में लिया जा चुका है, जबकि जोगबनी (भारत-नेपाल सीमा), दावकी (भारत-बांग्लादेश सीमा), अखौरा (भारत-बांग्लादेश सीमा), मोरेह (भारत-म्यांमा सीमा) और पेट्रापोल (भारत-बांग्लादेश सीमा) में काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।

11.3 रक्षा

यूपीए सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और देश की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने पर लगातार ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर सीमाओं की सुरक्षा के उपाय करने के लिए दो पर्वतीय डिविजन बनाने तथा बिहार के गया में दूसरी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राइफल के आधुनिकीकरण का भी अनुमोदन किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों एवं बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

7 फरवरी 2010 को अग्नि-3 का प्रक्षेपण

सुरक्षा

मुंबई में आतंकवादी हमलों के बाद तटीय और समुद्री सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यूपीए सरकार तटीय सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक दल, गुप्तचर सेवा, सीमा शुल्क विभाग, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने इस चुनौती से निपटने के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया है।

जमीनी ठिकानों पर मार करने की अचूक क्षमता वाली ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी तैनात किया जा रहा है, जो एक साथ कई ठिकानों पर आक्रमण कर सकती है।

सैन्य बलों की रहन-सहन स्थितियों में सुधार के लिए विवाहित आवास परियोजना के तहत 48,470 परिवार आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। 79,397 अतिरिक्त आवासों की योजना और निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

परमाणु पनडुब्बी- आईएनएस अरिहंत

शासन एवं नागरिक समाज

"सक्रिय नागरिक सुदृढ़ लोकतंत्र की बुनियाद हैं।"

- श्रीमती सोनिया गांधी

पारदर्शी सरकार - एनजीओ के साथ भागीदारी

शासन एवं नागरिक समाज

12. शासन एवं नागरिक समाज

12.1 सुधार

12.1.1 प्रशासनिक सुधार

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 30 अप्रैल 2009 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसने सरकार को 15 रिपोर्टें सौंपीं। सरकार ने आयोग की दस रिपोर्टों पर अंतिम निर्णय ले लिया है।

दस रिपोर्टों में स्वीकार की गई 798 सिफारिशों में से 402 सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है।

12.1.2 ई-शासन

2009-10 में 39,615 अतिरिक्त सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों के जरिये उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में जन्म, मृत्यु, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्रों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना संबंधी सेवाओं, विभिन्न सेवाओं के बिल जमा करना, रोजगार कार्यालय संबंधी सेवाएं, डाक सेवाएं, मतदाता सूची पंजीकरण, सूचना का अधिकार सेवाएं, अधिकारों का रिकॉर्ड, ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए सूचना प्रणाली एवं जागरूकता सेवाओं का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, एड्स नियंत्रण और टेली मेडिसिन शामिल हैं।

खंड विकास स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए 13 राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क चालू किए गए। शेष 12 भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर टूल और फॉन्ट विकसित किए गए। उत्तरप्रदेश, असम और तमिलनाडु के 13 जिलों में ई-जिला प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई।

2009-10 में आव्रजन, यूनीक आइडेंटिटी, ई-ऑफिस, ट्रैजरीज और वाणिज्यक करों के बारे में मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कृषि, पुलिस, ग्राम पंचायत, रोजगार कार्यालयों और भू-रिकॉर्ड पर मिशन मोड परियोजना अवधारणा के चरण से आगे बढ़कर डिजाइन और विकास के चरण तक पहुंच गई। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद कर, ई-अदालतों, ई-जिला (प्रायोगिक) परियोजनाओं के मामले में रोल आउट कार्य शुरू हुआ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी परियोजनाओं से ऑनलाइन पंजीकरण और ई-रिटर्न फाइल करने तथा दस्तावेजों की ई-फाइलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं।

यूपीए सरकार ने सभी निवासी भारतीयों को यूनीक आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास कार्यक्रम शुरू किया है। इस यूनीक आइडेंटिटी (यूआईडी) योजना के कार्यान्वयन के लिए यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इस योजना से विकास के लाभ गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों तक समय पर पहुंचाने में मदद मिलेगी और किसी प्रकार की खामी को दूर करने तथा सही निगरानी करने में सहायता मिलेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है कि यूआईडी नंबर जारी करने का काम 2010 से शुरू हो जाए।

सभी नागरिकों को यूनीक आइडेंटिटी कार्ड

ई-शासन पर 18 और 19 फरवरी, 2010 को जयपुर में 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय नागरिक के परिप्रेक्ष्य से ई-शासन था। इस सम्मेलन में ई-शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

12.1.3 न्याय प्रणाली में सुधार

यूपीए सरकार ने अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या कम करने, त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने, न्यायाधीशों की जवाबदेही तथा मुकदमे करने वालों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए न्यायिक सुधार का खाका तैयार किया है। 24 से 25 अक्तूबर, 2009 को आयोजित न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय विमर्श की सिफारिशों के आधार पर यूपीए सरकार ने अदालतों में सैद्धांतिक रूप में न्याय व्यवस्था और कानूनी अधिकारों संशोधन के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाने का फैसला किया है, जो अन्य बातों के अलावा विचाराधीन मामलों की औसत अवधि 15 वर्ष से घटाकर 2012 तक 3 वर्ष तक लाने की दिशा में प्रयास करेगा।

न्यायिक सुधारों के लिए राज्यों को विशेष सहायता

देश में न्यायिक सुधारों तथा अदालतों में भारी संख्या में विचाराधीन मुकदमों की भारी संख्या को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपायों के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की 13वें वित्त आयोग की सिफारिश मान ली हैं-

1- प्रातःकालीन एवं सायंकालीन अदालतों की स्थापना;

2- देश के प्रत्येक न्यायिक जिले में बुनियादी ढांचा, मध्यस्थों और सुलह कराने वालों के प्रशिक्षण के जरिये मध्यस्थता एवं सुलह की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को प्रोत्साहन देना;

3- राज्य की न्यायिक अकादमियों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाकर तथा अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा कर न्यायिक अधिकारियों और सार्वजनिक अभियोजकों की क्षमता बढ़ाना;

4- कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत अधिक राशि उपलब्ध करा कर गरीब वर्गों के लिए न्याय की पहुंच में बढ़ोत्तरी करना;

5- प्रबंधन विशेषज्ञों की मदद से अदालतों के प्रबंधन में सुधार।

ग्राम न्यायालय कानून का कार्यान्वयन

यूपीए सरकार ने लोगों को उनके घर के नजदीक कम खर्च पर त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए 5,000 से अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए 2 अक्तूबर, 2009 से देश में ग्राम न्यायालय कानून, 2008 लागू किया है।

12.1.4 सूचना के अधिकार को मजबूत करना

सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं। केंद्र और राज्यों में सूचना आयोगों की स्थापना की गई है। सरकारी विभागों को और अधिक सूचनाएं सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्य लोक सूचना अधिकारियों और अपील अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा सरकारी अधिकारियों तथा जनता के लाभ के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। सूचना के अधिकार

की मांग संबंधी पक्ष को मजबूत करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना का अधिकार कानून की कार्य प्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है तथा इसमें मौजूद खामियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार प्रक्रिया को मजबूत करने के बारे में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों के मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों के विचार जानने के लिए उनके साथ 14 अक्तूबर, 2009 को विचार-विमर्श किया गया।

12.1.5 कार्य निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन

सरकारी विभागों के लिए कार्य निष्पादन, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली को सितंबर 2009 में मंजूरी दी गई। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संबंधित मंत्री के अनुमोदन से प्रत्येक विभाग रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स (आरएफडी) तैयार करता है, जिसमें वर्ष के लिए विभागीय दृष्टि, मिशन, उद्देश्य सफलता के मानक, मुख्य परिणाम क्षेत्र और लक्ष्य शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में सभी मंत्रालय/विभाग एक रिपोर्ट तैयार करते है, जिसमें प्रस्तावित परिणामों की तुलना में मंत्रालय/विभाग की उपलब्धियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में दी जाती है। यह रिपोर्ट हर साल पहली जून तक तैयार करनी होती है। आकस्मिक परिस्थितियों जैसे कि सूखा, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों इत्यादि के लिए समन्वय करने हेतु निर्धारित किए गए कार्य निष्पादन लक्ष्यों की तुलना में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की उपलब्धियों की समीक्षा छह महीने बाद प्रत्येक वर्ष अक्तूबर में की जाएगी। कार्यान्वयन के पहले चरण में 59 विभागों/मंत्रालयों ने अपने संबंधित विभागों के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए आर.एफ.डी तैयार की है। ये सभी दस्तावेज विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए 62 विभागों/मंत्रालयों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है।

12.1.6 कार्य निगरानी इकाई

विशेष फ्लैगशिप कार्यक्रमों, प्रयासों और आदर्श योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्य निगरानी इकाई की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संबंधित मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि सतत् निगरानी के जरिये परियोजनाओं का काम सही ढंग से हो। मंत्रालयों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपनी सूचनाएं आम लोगों की जानकारी के लिए अपनी -अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराएं। कुछ वेबसाइटों पर सूचनाएं उपलब्ध कराने का कार्य शुरू हो गया है।

12.1.7 छात्रवृत्ति तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि का डाकघरों और बैंक खातों के जरिए भुगतान

राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन वितरित करने तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का भुगतान बैंक/डाकघरों के खातों के जरिए करने को कहा गया है। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान 70.83 लाख लाभार्थियों और 29.86 लाख लाभार्थियों को क्रमशः बैंकों और डाकघरों के खातों के जरिए किया जा रहा है।

12.1.8 सरकार और एन.जी.ओ के बीच पारदर्शिता के लिए वेब आधारित पोर्टल

स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ)/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के

लिए वेब आधारित पोर्टल 'एन.जी.ओ. भागीदारी प्रणाली' शुरू की गई हैं। एन.जी.ओ भागीदारी प्रणाली में अब तक 27,752 वी.ओ/एन.जी.ओ शामिल हो चुके हैं।

इन वी.ओ/एन.जी.ओ (राज्य-वार और क्षेत्र-वार) का डाटा बेस तथा एन.जी.ओ फंडिंग के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो गई हैं।

12.2 केन्द्र-राज्य संबंध

12.2.1 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2010 से 2015 के लिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं।

केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 12वें वित्त आयोग ने 30.5 प्रतिशत की सिफारिश की थी। 2010-15 में राज्यों को हस्तांतरित होने वाली कुल अनुमानित राशि, जिनमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तथा अनुदान सहायता शामिल है, 17,66,677 करोड़ रुपये है, जिसका 2005-10 में यह राशि 7,55,751.72 करोड़ रुपये थी।

केंद्रीय अनुदान सहायता 2005-10 के 1,42,640 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-15 में 3,18,581 करोड़ रुपए कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों द्वारा वे केंद्रीय ऋण, जो 2009-10 के आखिर में बकाया थे, बट्टे खाते में डाल दिए जाएंगे।

सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय लघु बचत कोष से राज्यों को 2006-07 के अंत तक दिए गए ऋण तथा 2009-10 के अंत तक बकाया ऋण पर ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित कर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राज्यों को इन कर्जों की अवधि में 28,360 करोड़ रुपए का लाभ होगा। सरकार ने सिद्धांत रूप में यह सिफारिश मंजूर कर ली है।

मैत्रीपूर्ण संबंध

"मेरा पक्का विश्वास है कि यदि हमारे पड़ोस में इसी तरह अशांति बनी रही तो भारत अपना विकास करने और महाशक्ति बनने की इच्छा पूरी नहीं कर सकता और इसलिए शांतिपूर्ण पड़ोस सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करना हमारे अपने हित में है। इस पर एक सौ पचास करोड़ लोगों का भविष्य निर्भर है।"

– डॉ. मनमोहन सिंह

प्रगाढ़ संबंध

13. मैत्रीपूर्ण संबंध

13.1. विदेशी मामले

13.1.1 पड़ोसी एवं अन्य देश- भागीदारी सुदृढ़ करना

यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति के अपने उद्देश्यों का अनुसरण कर रही है, जो देश की बुनियादी सुरक्षा तथा विकास संबंधी प्राथमिकताओं के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य ऐसी विश्व व्यवस्था कायम करना है, जिसमें तीव्र, स्थायी और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के भारत के मुख्य उद्देश्य तेजी के साथ बिना किसी बाधा के प्राप्त किए जा सकें। इसके लिए भारत की विदेशी नीति में अपने प्रमुख राष्ट्रीय मूल्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय माहौल में तेजी से हो रहे बदलावों को आत्मसात करने की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इन उद्देश्यों के अनुरूप भारत अपने सभी पड़ोसी तथा आस-पास के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत ने नेपाल के स्थायी, शांतिपूर्ण, समृद्ध और बहुदलीय लोकतांत्रिक देश के रूप में रूपांतरण में अपना सहयोग जारी रखा। बेहतर सीमा प्रबंधन और नेपाल के साथ संबंध बढ़ाने के लिए भारत, नेपाल के तराई इलाके में सड़कों के निर्माण, दो एकीकृत चौकियां स्थापित करने तथा सीमा के आर-पार दो रेलमार्गों के निर्माण पर 1600 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर रहा है।

बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीति की वापसी के बाद उसके साथ भारत के संबंधों में तेजी आई है। जनवरी 2010 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे में सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, बिजली और संस्कृति के बारे में अनेक महत्वूपर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने रेल संबंधी बुनियादी ढांचे, रेल इंजन, रेल डिब्बों, बसों और पोत की आपूर्ति सहित ढांचागत परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को एक अरब अमरीकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। भारत ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद तथा नेपाल और भूटान में माल परिवहन को सुगम बनाने के लिए ग्रिड से 250 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की है।

भारत भूटान को लगातार पर्याप्त विकास सहायता दे रहा है। भारत भूटान में पनबिजली क्षेत्र के विकास में मदद कर रहा है तथा वह भूटान से 2020 तक कम-से-कम 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। इसके लिए चुनी गई दस परियोजनाओं पर इस उद्देश्य से दस पनबिजली परियोजनाओं का कार्यान्वयन विविध चरणों में हैं।

अफगानिस्तान में पावरग्रिड कार्पोरेशन परियोजना

श्रीलंका में मई 2009 में तीन दशकों के दीर्घकालिक संघर्ष की समाप्ति से वहां सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। भारत ने निरंतर श्रीलंका सरकार से बातचीत से समाज के सभी तबकों को स्वीकार्य राजनीतिक समाधान तलाश करने का आग्रह किया है। भारत उत्तरी श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय

मैत्रीपूर्ण संबंध

रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता के साथ-साथ पुनर्निर्माण एवं विकास गतिविधियों में भी सहायता करता रहा है। भारत ने इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। हमारी विशाल सहायता में फील्ड अस्पताल, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर, बारूदी सुरंगें हटाने के 7 दल, आवास सामग्री की आपूर्ति, कृषि स्टार्टर पैक आदि की व्यवस्था शामिल है। 41 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर के ऋण के जरिये रेल संबंधी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

भारत ने आपसी संबंध बढ़ाने तथा व्यापार और निवेश में वृद्धि करने के लिए म्यांमा के साथ कई द्विपक्षीय परियोजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों से म्यांमा के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को खोलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सरकार ने मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से ठोस कार्रवाई किए जाने की अपनी इच्छा को पाकिस्तान के साथ सर्वोच्च स्तर सहित कई अवसरों पर उठाया है। भारत ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपनी धरती से चलाई जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसने के अपने नेताओं के वायदे को पूरा करे। विदेश मंत्रियों और विदेश सचिवों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाल करने के तरीके तलाशें जिससे आपसी हितों के सभी मसलों पर ठोस बातचीत का रास्ता तैयार हो सके।

अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास भागीदारी में सामाजिक-आर्थिक विकास गतिविधियों के सभी पहलू शामिल हैं तथा यह पूरे देश के लिए हैं। भारत के इन प्रयासों को अफगानिस्तान के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों से अच्छा समर्थन मिला है। उग्रवादी ताकतों के हमलों के बावजूद अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक बहुलतावादी और शांतिपूर्ण देश बनाने के प्रयास में वहां की सरकार और जनता की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है।

भारत और चीन ने शांति और समृद्धि के लिए विशेष और सहयोगपूर्ण भागीदारी स्थापित की है तथा '21वीं सदी के लिए साझा दृष्टिकोण' तैयार किया है। दोनों देश उच्च स्तर पर वार्ता जारी रखे हुए हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के अतिरिक्त हाल ही में जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन तथा नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था जैसे वैश्विक मसलों पर भी दोनों देशों के बीच सामंजस्य देखा गया। 2010 में दोनों देश अपने राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तथा इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

भारत और जापान ने विशेष और वैश्विक भागीदारी विकसित की है। भारत को जापान से काफी निवेश और विकास सहायता मिली है। इसमें डेडीकेटिड फ्रेट कोरिडोर और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर जैसी मुख्य परियोजनाएं शामिल हैं। भारत जापान के साथ उच्च गुणवत्ता वाले तथा परस्पर लाभदायक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भी बात कर रहा है। दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग के बारे में संयुक्त घोषणा भी जारी की है तथा अपने सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य योजना तैयार की है।

अपनी 'लुक ईस्ट' नीति के अनुरूप भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ निरंतर अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों आधारों पर मजबूत करने और उनमें सुधार लाने की प्रक्रिया जारी रखी।

रूस के साथ भागीदारी को और मजबूत किया गया है तथा रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक समझौते

किए गए। परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में भविष्योन्मुखी संरचनात्मक समझौते के तहत भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और स्वदेशी रिएक्टरों के निर्माण के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।

भारत-अमरीकी विशेष भागीदारी में निरंतरता बनी रही तथा इसमें और मजबूती आई। जुलाई 2009 में दोनों देशों ने पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों- (1) .विशेष सहयोग (2). ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन (3). अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं कृषि (4). शिक्षा एवं विकास और (5). विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं नवाचार में नए सिरे से विशेष संवाद शुरू करने की घोषणा की। नवंबर 2009 में एक शिखर बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बदली हुई वैश्विक विशेष भागीदारी का नया चरण शुरू करने का फैसला किया। भारत-अमरीका असैन्य परमाणु समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति हुई। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग समझौते करने से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं।

दुबई में 'भेल' की गैस टर्बाइन परियोजना

नवंबर 2009 में दिल्ली में 10 वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के सफल समापन से भारत और यूरोपीय संघ की विशेष भागीदारी और प्रगाढ़ हुई। 50 करोड़ से अधिक की आबादी और 18 खरब अमरीकी डालर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद वाला यूरोपीय संघ आधुनिक प्रौद्योगिकियों और निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह तथ्य यूरोपीय संघ के साथ व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उर्जा, सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों में भारत की निरंतर बढ़ती भागीदारी में साफ झलकता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय स्तर पर भी बहुत अच्छा सहयोग है।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सभी देशों के साथ हमारे संबंध व्यावसायिक, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में और मजबूत हुए।

फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को एक करोड़ अमरीकी डॉलर का अनुदान दिया गया। भारत ने फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यू.एन.आर.वी.ए) के लिए अपना वार्षिक अंशदान 20,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 10 लाख अमरीकी डॉलर कर दिया है।

भारत-अफ्रीका भागीदारी को भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन 2008 से नया बल मिला है। टेली नेटवर्क और टेली मेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना 53 अफ्रीकी देशों में से 47 देशों में लागू कर दी गई है। मार्च 2010 में संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसके तहत भारत अफ्रीका में 19 प्रशिक्षण

संस्थान स्थापित करेगा। अनेक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।

भारत ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के देशों के साथ बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा के मामलों में हमारा हिस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत ने ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलम्बिया और चिली जैसे अग्रणी लैटिन अमरीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और साथ ही कैरेबियाई क्षेत्र, जहां भारतीय मूल के अनेक लोग रहते हैं, के साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को सुदृढ़ बनाने के ठोस उपाय किए।

13.1.2 क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करना

अपने पड़ोसियों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता से सार्क फिर से सशक्त बना है और इसने अनेक क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। नए प्रयासों में सार्क विकास कोष की स्थापना, सार्क खाद्य बैंक की स्थापना, दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा और कृषि, आपराधिक मामलों में आपसी सहायता के बारे में सार्क समझौता शामिल हैं। अप्रैल 2010 में भूटान में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में इस सहयोग को और आगे बढ़ाया गया जहां भारत ने घोषणा की कि नई दिल्ली में दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय का पहला सत्र अगस्त 2010 में शुरू हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों की आर्थिक जरूरतों के लिए सेवा प्रदाता बन गया है।

1990 के दशक के प्रांरभ से विकसित हो रही 'लुक ईस्ट नीति' का वास्तविक अनुपालन तब हुआ जब भारत ने आसियान और बिम्सटेक (बे आफ बंगाल इनीशिएटिव फार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोआपरेशन) तथा मेकोंग-गंगा सहयोग जैसे क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय समूहों के साथ आपसी लाभ पर आधारित सहयोग को आगे बढ़ाया। माल के बारे में 1 जनवरी, 2010 से लागू हुए भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण कदम था।

भारत ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फार रीजनल को-ओपरेशन के अंतर्गत सहयोग की गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया तथा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा पूर्व एशिया सम्मेलन, एशिया सहयोग संवाद, एशिया-यूरोप सम्मेलन तथा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मंच (इब्सा) तथा ब्राजील, रूस, भारत और चीन मंच (ब्रिक) जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रीय समूहों के साथ रिश्तों को और मजबूत किया गया। पोर्ट आफ स्पेन में नवंबर 2009 में राष्ट्रमंडल राज्याध्यक्ष बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल की गतिविधियों तथा कई अन्य प्रयासों के लिए सहयोग बढ़ाने की घोषणा की।

13.1.3 वैश्विक मामलों में रचनात्मक भागीदारी

भारत की वैश्विक भागीदारी के तीन स्तंभ हैं- घरेलू निवेश के पूरक के रूप में स्थायी विदेशी पूंजी निवेश, विकास के लिए दुनियाभर की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना तथा प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण देश के विकास में रुकावट न आने देना । भारत ने दुनिया भर में वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय संकट, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी रचनात्मक और बहुपक्षीय भूमिका जारी रखी।

भारत ने आर्थिक मंदी पर लगाम कसने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों के सुधार के लिए वाशिंगटन, लंदन और पिट्सबर्ग में हुए जी-20 के तीनों सम्मेलनों में अति सक्रिय एवं रचनात्मक भागीदारी की ।

संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में

निरंतर कार्य करने के लिए भारत ने मानव अधिकार परिषद, महिलाओं की स्थिति पर आयोग, प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून एवं अंतर संसदीय संघ पर संयुक्त राष्ट्र आयोग जैसे अनेक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भागीदारी की ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के जरिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाने एवं ज्यादा प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर बल देता रहा ।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की कार्रवाइयों के लिए सेना, पुलिस और संसाधनों के योगदान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाइयों में सेना के जरिए योगदान करने वाले प्रमुख तीन देशों में भारत एक है।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता बनाए रखने और इसकी आवाज़ को मजबूती देने के लिए इस आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका जारी रखी।

भारत जलवायु परिवर्तन की ऐसी नियम आधारित, पारदर्शी और समान प्रणाली विकसित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है, जिसमें विकासशील देशों के हितों की रक्षा होती हो तथा उनके गरीबी उन्नमूलन और स्थायी आर्थिक विकास के प्रयासों को मदद मिलती हो।

सरकार दुनिया भर में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए लम्बे समय से चली आ रही अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रही तथा उसने परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में बढ़ती वैश्विक रुचि का स्वागत किया। सरकार ने असैन्य परमाणु सहयोग के बारे में परमाणु आपूर्ति कर्ता समूह के सितंबर 2008 के निर्णय के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। इसके कारण ईंधन की आपूर्ति सहित कई असैन्य परमाणु सहयोग समझौते किए गए।

भारत ने आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया तथा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सार्वभौमिक कार्यान्वयन पर बल दिया है। भारत ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संधि का शीघ्र अनुमोदन करने का आग्रह किया है।

13.2 प्रवासी भारतीय

13.2.1 प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, कौशल और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए संस्थागत समर्थन

प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीय वैश्विक सलाहकार परिषद

दुनियाभर में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े भारतीय मूल के प्रतिष्ठित लोगों के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीय वैश्विक सलाहकार परिषद स्थापित की गई है। इस परिषद की पहली बैठक 7 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

वैश्विक भारतीय ज्ञान नेटवर्क (ग्लोबल-आईएनके)

वैश्विक भारतीय ज्ञान नेटवर्क (ग्लोबल-आईएनके) इलेक्ट्रोनिक मंच है, जो विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय मूल के लोगों को आपस में जोड़ेगा तथा न सिर्फ उनके निवास के देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में उन्हें मान्यता देगा तथा साथ ही भारत में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर ज्ञान के उपयोक्ताओं में भी उन्हें सम्मान दिलाएगा। यह नेटवर्क वर्चुअल थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ग्लोबल-आईएनके 1 जनवरी 2010 से

मैत्रीपूर्ण संबंध

आठवें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में प्रतिनिधि

काम कर रहा है। ग्लोबल-आईएनके के बारे में जानकारी www.globalink.in पर उपलब्ध है।

13.2.2 भारत के साथ प्रवासी भारतीयों का संपर्क बनाए रखने में सहयोग

प्रवासी भारतीय दिवस

आठवां प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी.डी) सम्मेलन 7 से 9 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर 14 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए।

पी.बी.डी-यूरोप नामक तीसरा लघु प्रवासी भारतीय दिवस हेग में 19 सितंबर 2009 को वर्ल्ड फोरम में आयोजित किया गया।

13.2.3 आव्रजन के प्रबंधन में सुधार

भारतीय कामगारों के कल्याण और सुरक्षा के लिए भारत और बहरीन के बीच जून 2009 में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

स्विट्जरलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, हंगरी और डेनमार्क के साथ 2009 में सामाजिक सुरक्षा समझौते किए गए। इसके अतिरिक्त डेनमार्क के साथ श्रम गतिशीलता भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। डेनमार्क भारत के साथ इस तरह का समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश है।

सरकार ने आव्रजन जांच की आवश्यकता वाले (ई.सी.आर.) 17 देशों और मालदीव में भारतीय दूतावासों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आई.सी.डब्ल्यू.एफ.) की स्थापना के प्रस्ताव को 2009 में मंजूरी दे दी । इस कोष से संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों को मौके पर ही कल्याण एवं आपात राहत उपलब्ध कराई जा सकेगी।